विषय-सूची

	पृष्ठ सं.
प्रस्तावना	1
भाग – क	
युवा शक्ति और तीन कर्तव्य	2-3
सुधार एक्सप्रेस	3
पहला कर्तव्य: आर्थिक विकास को तेज और सतत् रखना	3
दूसरा कर्तव्य: आकांक्षाओं को पूरा करना और क्षमता निर्माण	3
तीसरा कर्तव्य: सबका साथ सबका विकास	3
16वां वित्त आयोग	24
राजकोषीय समेकन	24
भाग – ख	
प्रत्यक्ष कर	27
अप्रत्यक्ष कर	35
भाग-क का अनुलग्नक	41
भाग-ख का अनुलग्नक	42
प्रत्यक्ष करों से संबंधित संशोधन	42
अप्रत्यक्ष करों से संबंधित संशोधन	64

बजट 2026-27

निर्मला सीतारामन

वित्त मंत्री

का भाषण

1 फरवरी, 2026

माननीय अध्यक्ष महोदय,

माघ पूर्णिमा और गुरू रविदास जी की जन्मशती के पावन अवसर पर, मैं वर्ष 2026-2027 के लिए बजट प्रस्तुत करती हूँ।

प्रस्तावना

1. 12 वर्ष पूर्व जब हमने कार्यभार संभाला, तब से, भारत की आर्थिक व्यवस्था का मार्ग स्थायित्व, राजकोषीय अनुशासन, सतत् विकास और कम मुद्रास्फीति से चिह्नित रहा है। यहां तक कि घोर अनिश्चितताओं और व्यवधानों के समय भी, हमारे द्वारा चुने गए सुविचारित विकल्पों के फलस्वरूप ऐसा संभव हो पाया है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने निर्णायक रूप से और निरंतर, संशय के स्थान पर कार्रवाई, वाक्पटुता के स्थान पर सुधार और लोक लुभावन दिखावे के स्थान पर जनहित को प्राथमिकता दी है।

2. हमने लोक निवेश पर अधिक जोर देते हुए दूरगामी ढांचागत सुधारों, राजकोषीय मितव्ययिता और मौद्रिक स्थिरता के मार्ग का अनुसरण किया है। *आत्मनिर्भर भारत* को अपना लक्ष्य मानते हुए, हमने घरेलू विनिर्माण क्षमता, ऊर्जा सुरक्षा का निर्माण किया है और महत्वपूर्ण उत्पादों के लिए आयात निर्भरता को कम किया है। इसके साथ-साथ, हमने रोजगार सृजन, कृषि उत्पादकता, परिवारों की क्रय शक्ति और लोगों के लिए सर्वव्यापी सेवाओं की सहायता हेतु सुधार करते हुए यह सुनिश्चित किया है कि सरकार के प्रत्येक कार्य का लाभ नागरिकों को प्राप्त हो सके। इन उपायों से लगभग

7% का उच्च विकास दर हासिल हुआ है और इससे हमें गरीबी को कम करने तथा हमारे लोगों के जीवन में सुधार लाने में ठोस कदम उठाने में मदद मिली है।

3. आज, हम एक ऐसी बाहरी परिस्थिति का सामना कर रहे हैं जिसमें व्यापार और बहुपक्षीयवाद खतरे में है तथा संसाधनों तक पहुँच और आपूर्ति श्रृंखलाएं बाधित हैं। नई प्रौद्योगिकियां जल, ऊर्जा और महत्वपूर्ण खनिजों की मांगों को काफी तेजी से बढ़ाते हुए उत्पादन प्रणालियों को बदल रही हैं।

4. भारत समावेशिता के साथ आकांक्षाओं का संतुलन बनाते हुए विकसित भारत की ओर विश्वास से भरे कदम उठाता रहेगा। बढ़ते व्यापार और पूंजी आवश्यकताओं के साथ बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में, भारत को वैश्विक बाजारों से नजदीकी से एकीकृत होना होगा और अधिक से अधिक निर्यात करना होगा तथा स्थिर दीर्घकालिक निवेश को भी आकर्षित करना होगा।

भाग - क

5. जब मैं बजट का भाग क आरंभ कर रही हूँ, मैं, विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनने की दिशा में आगे बढ़ने में बड़ी मजबूती से हमारे साथ खड़े रहने के लिए लोगों के प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहूँगी।

6. हमारा लक्ष्य है कि हम विकास के लाभ प्रत्येक किसान, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, घुमंतू, युवा, गरीब और महिलाओं तक पहुँचाना सुनिश्चित करते हुए आकांक्षा को उपलब्धि तथा संभावना को कार्य-निष्पादन में परिवर्तित करें।

7. विकसित भारत युवा नेता वार्ता 2026 में, हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ अनेक नवोन्मेषी विचार साझा किए गए जो कई प्रस्तावों का आधार बने हैं, जिससे यह एक विशेष युवा शक्ति संचालित बजट बन पाया है।

8. हमारी सरकार का 'संकल्प' हमारे गरीब, शोषित और वंचितों पर ध्यान देना है। इस संकल्प को पूरा करने तथा यह देखते हुए कि कर्तव्य भवन में तैयार होने वाला यह पहला बजट है, हम 3 कर्तव्यों से प्रेरित हैं:

9. हमारा पहला कर्तव्य उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाते हुए आर्थिक विकास को तेज और सतत् बनाए रखना तथा विश्व में बदल रही परिस्थितियों का सामना करने की क्षमता को विकसित करना है।

10. हमारा दूसरा कर्तव्य हमारे लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना और उनकी क्षमताओं का निर्माण करना है ताकि वे भारत की समृद्धि के मार्ग में मजबूत सहयोगी बन सके।

11. हमारा तीसरा कर्तव्य, जो सबका साथ, सबका विकास के हमारे दृष्टिकोण के अनुरूप है, यह सुनिश्चित करना है कि अर्थपूर्ण भागीदारी के लिए प्रत्येक परिवार, समुदाय, प्रदेश और क्षेत्र की पहुँच संसाधनों, सुविधाओं और अवसरों तक हो।

12. इस त्रि-आयामी दृष्टिकोण के लिए एक सहायक परिवेश की आवश्यकता होगी। पहली आवश्यकता ढांचागत सुधारों की गति को निरंतर, अनुकूल और प्रगतिशील बनाए रखना है। दूसरा, एक मजबूत और समुत्थानशील वित्तीय क्षेत्र बचत जुटाने, दक्षतापूर्ण पूंजी आबंटन तथा जोखिमों के प्रबंधन का आधार है। तीसरा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन सहित अति उन्नत प्रौद्योगिकियां सुशासन में सहायक बन सकती हैं।

सुधार एक्सप्रेस

13. हमारी सरकार ने रोजगार के सृजन, उत्पादकता को बढ़ाने तथा विकास में तेजी लाने की दिशा में व्यापक आर्थिक सुधार किए हैं। वर्ष 2025 में स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री जी की घोषणा के पश्चात, 350 से अधिक सुधारों को शुरू किया गया है। इसमें जीएसटी का सरलीकरण, श्रम संहिताओं को अधिसूचित करना तथा अनिवार्य

गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों को युक्तिसंगत बनाना शामिल है। उच्च स्तरीय समितियां गठित की गई हैं और इसके साथ-साथ केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के साथ मिलकर विनियमन हटाने तथा अनुपालन संबंधी अपेक्षाओं में कमी लाने की दिशा में काम कर रही है।

14. सुधार एक्सप्रेस अपने मार्ग पर चल पड़ा है और यह हमारे कर्तव्य को पूरा करने में मदद के लिए अपनी गति बनाए रखेगा।

अब मैं विशिष्ट प्रस्तावों की ओर बढ़ती हूँ।

15. आर्थिक विकास में तेजी लाने और इसे बनाए रखने के हमारे पहले कर्तव्य के अंतर्गत, मैं छह क्षेत्रों में पहलों का प्रस्ताव करती हूँ: i) 7 रणनीतिक और अग्रणी क्षेत्रों में विनिर्माण को तेज करना; ii) विरासत के औद्योगिक क्षेत्रों का कायाकल्प करना; iii) "चैम्पियन एमएसएमई" का निर्माण करना; iv) अवसंरचना को सशक्त प्रोत्साहन प्रदान करना; v) दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा और स्थायित्व सुनिश्चित करना; और vi) शहर आर्थिक क्षेत्र विकसित करना।

रणनीतिक और अग्रणी क्षेत्रों में विनिर्माण को तेज करना :

16. बायोफार्मा शक्ति (ज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा के लिए रणनीति) – भारत का रोग बोझ गैर-संक्रामक बीमारियों, जैसे कि मधुमेह, कैंसर और ऑटोइम्यून डिस्ऑर्डर की ओर बढ़ते हुए देखा गया हैं। किफायती लागत पर गुणवत्ता के साथ दीर्घायु जीवन के लिए जैविक दवाएं महत्वपूर्ण हैं। भारत को एक वैश्विक बायोफार्मा विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए, मैं अगले 5 वर्षों में ₹10,000 करोड़ के परिव्यय के साथ बायोफार्मा शक्ति का प्रस्ताव करती हूँ। इससे जैविक तथा जैव संबद्ध के घरेलू उत्पादन हेतु परिवेश का निर्माण होगा। इस रणनीति में, 3 नए राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थानों (एनआईपीईआर) और 7 मौजूदा संस्थानों के उन्नयन के साथ बायोफार्मा-केंद्रित नेटवर्क

शामिल होगा। इससे 1000 से अधिक मान्यता-प्राप्त इंडिया क्लीनिकल ट्रायल साइटों का एक नेटवर्क भी तैयार होगा। हम वैश्विक मानकों और अनुमोदन समय-सीमा को पूरा करने के लिए एक समर्पित वैज्ञानिक समीक्षा संवर्ग और विशेषज्ञों के माध्यम से केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन को सुदृढ़ बनाने का प्रस्ताव करते हैं।

17. इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (आईएसएम) 1.0 ने भारत की सेमीकंडक्टर क्षेत्र की क्षमताओं का विस्तार किया है। इससे आगे बढ़ते हुए, हम उपकरण और सामग्रियों के उत्पादन, पूर्ण सुसज्जित भारतीय आईपी डिजाइन तथा आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने के लिए आईएसएम 2.0 का शुभारंभ करेंगे। हम प्रौद्योगिकी को विकसित करने तथा कुशल जनशक्ति तैयार करने हेतु उद्योग आधारित अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्रों पर भी ध्यान केन्द्रित करेंगे।

18. अप्रैल, 2025 में ₹22,919 करोड़ के परिव्यय के साथ आरंभ की गई इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना में पहले ही लक्ष्य से दोगुनी निवेश प्रतिबद्धताएं प्राप्त हो चुकी हैं। इस तेजी का लाभ उठाने के लिए, हम परिव्यय को बढ़ाकर ₹40,000 करोड़ करने का प्रस्ताव करते हैं।

19. नवम्बर, 2025 में रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट स्कीम आरंभ की गई थी। अब हम खनन, प्रसंस्करण, अनुसंधान और विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए समर्पित दुर्लभ खनिज कॉरीडोर स्थापित करने हेतु खनिज संपन्न राज्यों ओडिशा, केरल, आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सहायता करने का प्रस्ताव करते हैं।

20. घरेलू रासायनिक उत्पादन बढ़ाने और निर्यात-निर्भरता कम करने के लिए हम क्लस्टर आधारित प्लग एंड प्ले मॉडल के आधार पर चुनौती मार्ग के माध्यम से 3 समर्पित रासायनिक पार्कों की स्थापना में राज्यों की मदद के लिए एक योजना का शुभारंभ करेंगे।

21. मजबूत पूंजीगत वस्तु सामर्थ्य, सभी क्षेत्रों में उत्पादकता और गुणवत्ता का निर्धारक है। इस क्षमता के निर्माण हेतु, मैं निम्नलिखित का प्रस्ताव करती हूँ:

(क) सीपीएसई द्वारा डिजिटल रूप से समर्थित ऑटोमेटेड सर्विस ब्यूरो के रूप में 2 स्थानों पर हाई-टेक टूल रूम स्थापित किए जाएंगे जो स्थानीय रूप से बड़े पैमाने और कम लागत पर उच्च-परिशुद्धता वाले घटकों के डिजाइन, परीक्षण और विनिर्माण करेंगे।

(ख) उच्च-मूल्य और तकनीकी रूप से उन्नत निर्माण एवं अवसंरचना उपकरण (सीआईई) के घरेलू उत्पादन को मजबूत करने हेतु निर्माण एवं अवसंरचना उपकरण संवृद्धि के लिए एक योजना आरंभ की जाएगी। ये बहुमंजिली इमारत में लिफ्ट, अग्निशमन उपकरण, बड़ी और छोटी से लेकर मेट्रो और ऊँचाई वाले स्थानों पर सड़कों के लिए सुरंग निर्माण संबंधी उपकरण हो सकते हैं।

(ग) मैं, 5 वर्षों की अवधि के लिए ₹10,000 करोड़ रुपए के बजटीय आबंटन के साथ वैश्विक प्रतिस्पर्धी कंटेनर विनिर्माण परिवेश तैयार करने हेतु एक कंटेनर विनिर्माण योजना का भी प्रस्ताव करती हूँ।

22. श्रम गहन वस्त्र क्षेत्र के लिए, मैं पांच उप-भागों के साथ एकीकृत कार्यक्रम का प्रस्ताव करती हूँ:

(क) रेशम, ऊन और जूट जैसे प्राकृतिक फाइबर, मानव निर्मित फाइबर और नए युग के फाइबरों में आत्मनिर्भरता हेतु राष्ट्रीय फाइबर योजना;

(ख) मशीनरी, प्रौद्योगिकी उन्नयन और सामान्य परीक्षण एवं प्रमाणन केंद्रों के लिए पूंजीगत सहायता के साथ पारंपरिक क्लस्टरों के आधुनिकीकरण के लिए वस्त्र विस्तार एवं रोजगार योजना;

(ग) मौजूदा योजनाओं को एकीकृत एवं सुदृढ़ करने और बुनकरों एवं कारीगरों के लिए लक्षित सहायता सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय हथकरघा एवं हस्तशिल्प कार्यक्रम;

(घ) वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी और धारणीय वस्त्र और परिधानों को बढ़ावा देने के लिए टेक्स-इको पहल;

(ङ) उद्योग जगत और शैक्षणिक संस्थानों के सहयोग से वस्त्र कौशल परिवेश के आधुनिकीकरण और उन्नयन के लिए समर्थ 2.0

23. इसके अलावा, मैं चुनौती मोड में मेगा टेक्सटाइल्स पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव करती हूँ। वे तकनीकी टेक्सटाइल्स के मूल्य वर्धन पर भी ध्यान केंद्रित कर सकते हैं।

24. मैं, खादी, हथकरघा और हस्तशिल्प को सुदृढ़ बनाने के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना का शुभारंभ करने का प्रस्ताव करती हूँ। इससे वैश्विक बाजार संबद्धता और ब्रांडिंग में सहायता मिलेगी। यह प्रशिक्षण, कौशल, प्रक्रिया और उत्पादन गुणवत्ता को सुसंगत बनाएगा और सहायता प्रदान करेगा। यह हमारे बुनकरों, ग्रामीण उद्योगों, एक जिला-एक उत्पाद पहल और ग्रामीण युवाओं को लाभान्वित करेगा।

25. भारत में उच्च गुणवत्ता वाले खेलकूद के सस्ते सामानों के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में उभरने की संभावना मौजूद है। मैं, उपकरण डिजाइन एवं सामग्री विज्ञान में विनिर्माण, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने हेतु खेलकूद के सामानों के लिए एक समर्पित पहल का प्रस्ताव करती हूँ।

विरासत के औद्योगिक क्लस्टरों का कायाकल्प

26. मैं, अवसंरचना और प्रौद्योगिकी उन्नयन के माध्यम से उनकी लागत प्रतिस्पर्धात्मकता और दक्षता में सुधार करने के लिए 200 विरासत के औद्योगिक क्लस्टरों को पुनर्जीवित करने के लिए एक योजना शुरु करने का प्रस्ताव करती हूँ।

"चैंपियंस एसएमई" का सृजन और सूक्ष्म उद्यमों को सहायता:

27. एमएसएमई को विकास के एक महत्वपूर्ण इंजन के रूप में मान्यता देते हुए, मैं 'चैंपियंस' के रूप में उनके विकास में सहायता के लिए एक त्रि-आयामी दृष्टिकोण का प्रस्ताव करती हूँ:

इक्विटी सहायता

28. मैं, भविष्य के चैंपियंस तैयार करने, चुनिंदा मानदंडों के आधार पर उद्यमों को प्रोत्साहित करने के लिए समर्पित ₹10,000 करोड़ की एसएमई विकास निधि शुरु करने का प्रस्ताव करती हूँ।

29. मैं, सूक्ष्म उद्यमों की सहायता को जारी रखने और जोखिम पूंजी तक उनकी पहुँच को बनाए रखने के लिए वर्ष 2021 में स्थापित आत्मनिर्भर भारत निधि में ₹2,000 करोड़ के टॉप-अप का भी प्रस्ताव करती हूँ।

नकदी सहायता

30. ट्रेड्स के साथ, एमएसएमई को ₹7 लाख करोड़ से अधिक धनराशि उपलब्ध कराई गई है। इसकी पूरी क्षमता का लाभ लेने के लिए, मैं 4 उपायों का प्रस्ताव करती हूँ: (i) केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा एमएसएमई से सभी खरीद के लिए ट्रेड्स को लेनदेन निपटान प्लेटफॉर्म के रूप में उपयोग करने का अधिदेश करना, जिससे यह अन्य कारपोरेट के लिए एक मानक बन सके; (ii) ट्रेड्स प्लेटफार्म पर बीजक छूट हेतु सीजीटीएमएसई के माध्यम से ऋण गारंटी सहायता तंत्र शुरु करना; (iii) सस्ते और त्वरित वित्तपोषण को प्रोत्साहित करने के लिए, एमएसएमई से सरकारी खरीद के बारे में वित्त प्रदाताओं के साथ सूचना साझा करने हेतु जेम को ट्रेड्स से जोड़ना; (iv) ट्रेड्स प्राप्तियों को आस्ति-समर्थित प्रतिभूतियों के रूप में शुरु करना, जो एक द्वितीयक बाजार के विकास में सहायता करेगा और नकदी एवं लेनदेनों के निपटान को बढ़ाएगा।

पेशेवर सहायता

31. सरकार विशेष रूप से टियर-II और टियर-III कस्बों में 'कारपोरेट मित्रों' का एक संवर्ग तैयार करने के लिए अल्पावधि, मॉड्यूलर पाठ्यक्रमों और व्यवहारिक टूल्स की डिजाइन करने हेतु आईसीएआई, आईसीएसआई, आईसीएमएआई जैसे पेशेवर संस्थानों को सुविधा प्रदान करेगी। ये प्रमाणित अर्ध-पेशेवर एमएसएमई को किफायती लागत पर अनुपालन अपेक्षाओं को पूरा करने में सहायता करेंगे।

अवसंरचना

32. पिछले दशक के दौरान हमारी सरकार ने अवसंरचना निवेश न्यास (आईएनवीआईटी) और स्थावर संपदा निवेश न्यास (आरईआईटी) जैसे नए वित्तीय साधनों और एनआईआईएफ एवं एनएबीएफआईडी जैसे संस्थानों के माध्यम से सार्वजनिक अवसंरचना को बड़े पैमाने पर बढ़ाने के लिए कई पहलें की हैं। हम 5 लाख से अधिक आबादी वाले (टियर-II और टियर-III) शहरों में अवसंरचना के विकास पर जोर देना जारी रखेंगे, जिन्हें विकास केंद्र बनने के लिए विस्तारित किया गया है।

33. सरकारी कैपेक्स वित्त वर्ष 2014-15 में ₹2 लाख करोड़ से कई गुना बढ़कर वित्त वर्ष 2025-26 में ₹11.2 लाख करोड़ हो गया है। वित्त वर्ष 2026-27 में, मैं इस गति को जारी रखने हेतु इसे बढ़ाकर ₹12.2 लाख करोड़ करने का प्रस्ताव करती हूँ।

34. अवसंरचना विकास और निर्माण चरण के दौरान जोखिमों के संबंध में निजी डेवलपर्स के विश्वास को मजबूत करने के लिए, मैं ऋणदाताओं को दूरदर्शिता से सुविचारित आंशिक ऋण गारंटी उपलब्ध कराने हेतु एक अवसंरचना जोखिम गारंटी निधि स्थापित करने का प्रस्ताव करती हूँ।

35. पिछले वर्षों के दौरान, आरईआईटीएस, परिसंपत्ति मुद्रीकरण के लिए एक सफल उपाय बन कर उभरे हैं। मैं समर्पित आरईआईटीएस की स्थापना के माध्यम

से सीपीएसई की महत्वपूर्ण रियल एस्टेट परिसंपत्तियों की रीसाइक्लिंग में गति लाने का प्रस्ताव करती हूँ।

36. कार्गो के पर्यावरण अनुकूल आवागमन को बढ़ावा देने के लिए, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करती हूँ: (क) पूर्व में डानकूनी से पश्चिम में सूरत को जोड़ते हुए नया समर्पित मालवाहक कॉरीडोर बनाना; (ख) तालचर और आंगुल जैसे खनिज समृद्ध क्षेत्रों तथा कलिंगा नगर जैसे औद्योगिक केंद्रों को पारादीप और धमरा पत्तनों से जोड़ने के लिए ओडिशा में एनडबल्यू-5 से शुरु करते हुए, अगले 5 वर्षों में 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग (एनडबल्यू) शुरु करना। इसके लिए अपेक्षित जनशक्ति तैयार करने के लिए क्षेत्रीय उत्कृष्टता केंद्रों के रूप में प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए जाएंगे। इससे प्रशिक्षण देने और कौशल प्राप्त करने के लिए जलमार्ग के पूरे भाग में युवाओं को लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा, अंतर्देशीय जलमार्गों की जरूरतों को पूरा करने के लिए बनारस और पटना में एक जहाज मरम्मत सुविधा भी स्थापित की जाएगी (ग) अंतर्देशीय जलमार्गों और तटीय पोत परिवहन का हिस्सा 6% से बढ़ाकर 2047 तक 12% करने के लिए, रेल और सड़क परिवहन से मॉडल शिफ्ट को प्रोत्साहित करने के लिए एक तटीय कार्गो प्रोत्साहन स्कीम का शुभारंभ करना।

37. अंतिम छोर और दूर-दराज के क्षेत्रों को जोड़ने और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, मैं समुद्री-विमानों के स्वदेशी निर्माण को प्रोत्साहन प्रदान करने का प्रस्ताव करती हूँ। प्रचालनों को सहायता उपलब्ध कराने के लिए एक समुद्री विमान वीजीएफ योजना भी शुरु की जाएगी।

कार्बन कैप्चर उपयोगिता और भंडारण (सीसीयूएस)

38. दिसम्बर, 2025 में शुरू किए गए रोडमैप के अनुरूप, बड़े पैमाने पर सीसीयूएस प्रौद्योगिकियां विद्युत, इस्पात, सीमेंट और रसायनों सहित पांच औद्योगिक क्षेत्रों में अंतिम उपयोग अनुप्रयोगों में अधिक तैयारी का स्तर प्राप्त करेगा। अगले पांच वर्षों में ₹20,000 करोड़ के परिव्यय का प्रस्ताव किया गया है।

शहरी आर्थिक क्षेत्र

39. शहर भारत के विकास, नवाचार और अवसरों के इंजन हैं। हम अब टियर ।। और टियर ।।। शहरों तथा तीर्थ कस्बों पर भी ध्यान केंद्रित करेंगे, जिन्हें आधुनिक अवसंरचना और बुनियादी सुविधाओं की आवश्यकता है। इस बजट का लक्ष्य उनके विशिष्ट विकास कारकों के आधार पर, शहरी आर्थिक क्षेत्रों (सीईआर) का मानचित्रण करके समूहों की आर्थिक शक्ति का उपयोग करने के लिए शहरों की क्षमता को और अधिक बढ़ाना है। सुधार-सह-परिणाम आधारित वित्तपोषण तंत्र से चुनौती मोड के माध्यम से उनकी योजनाओं को लागू करने के लिए 5 वर्षों में प्रति सीईआर ₹5000 करोड़ का आबंटन प्रस्तावित है।

40. पर्यावरणीय रूप से सतत् यात्री प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए, हम शहरों के बीच 'विकास संयोजक' के रूप में सात उच्च-गति रेल कॉरीडोर, अर्थात, (i) मुंबई - पुणे (ii) पुणे - हैदराबाद (iii) हैदराबाद - बेंगलुरु (iv) हैदराबाद - चेन्नई (v) चेन्नई - बेंगलुरु (vi) दिल्ली - वाराणसी और (vii) वाराणसी – सिलीगुड़ी विकसित करेंगे।

वित्तीय क्षेत्र

41. मजबूत तुलन-पत्र, लाभप्रदता में ऐतिहासिक उच्च स्तर, परिसंपत्तियों की बेहतर गुणवत्ता और देश के 98% से अधिक गाँवों में कवरेज, आज भारतीय बैंकिंग क्षेत्र की प्रमुख विशेषताएं हैं। इस समय, हम इस क्षेत्र के सुधार-प्रेरित विकास पथ को जारी रखने के लिए जरूरी उपायों के भविष्यवादी रूप से मूल्यांकन करने के लिए बेहतर स्थिति में हैं।

42. वित्तीय स्थायित्व, समावेशन और उपभोक्ता संरक्षण को सुरक्षित करते हुए, भारत के अगले चरण की विकास जरुरतों के अनुरूप, इस क्षेत्र की व्यापक समीक्षा करने के लिए मैं "विकसित भारत के लिए बैंकिंग पर उच्च स्तरीय समिति" गठित करने का प्रस्ताव करती हूँ।

43. ऋण संवितरण और प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए स्पष्ट लक्ष्यों के साथ विकसित भारत के लिए एनबीएफसी हेतु विजन तैयार किया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र के एनबीएफसी में उच्च स्तर प्राप्त करने और दक्षता में सुधार के उद्देश्य से, प्रथम कदम के रूप में, विद्युत वित्त निगम और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के पुनर्गठन का प्रस्ताव किया जाता है।

44. मैं, भारत की विकासोन्मुख आर्थिक प्राथमिकताओं के अनुरूप विदेशी निवेश के लिए अधिक समकालीन, उपयोगकर्ता अनुकूल ढांचा तैयार करने के लिए विदेशी मुद्रा प्रबंधन (गैर-ऋण लिखत) नियमावली की व्यापक समीक्षा का प्रस्ताव करती हूँ।

कॉरपोरेट बांड बाजार

45. मैं, एक ऐसे बाजार निर्माण की संरचना पेश करने का प्रस्ताव करती हूँ जहां कॉरपोरेट बांड क्षेत्र में निधियों और व्युत्पन्नों के लिए पर्याप्त अवसर हों। मैं कॉरपोरेट बांडों पर पूर्ण रिटर्न स्वैप शुरू करने का भी प्रस्ताव करती हूँ।

म्युनिसिपल बांड

46. बड़े शहरों द्वारा अधिक मूल्य के म्युनिसिपल बांड जारी करने को बढ़ावा देने के लिए, मैं ₹1000 करोड़ से अधिक का एकल बांड जारी करने के लिए ₹100 करोड़ के प्रोत्साहन का प्रस्ताव करती हूँ। अमृत के अंतर्गत वर्तमान योजना, जो ₹200 करोड़ तक के बांड जारी करने पर प्रोत्साहन प्रदान करती है, वह भी छोटे और मध्यम कस्बों को सहायता प्रदान करने के लिए जारी रहेगी।

व्यापार करने की सुगमता

47. भारत के बाहर निवासी व्यक्तिगत व्यक्ति (पीआरओआई) को पोर्टफोलिओ निवेश योजना के माध्यम से सूचीबद्ध भारतीय कंपनियों की इक्विटी लिखतों में निवेश करने की अनुमति होगी। इस योजना के अंतर्गत, सभी व्यक्तिगत पीआरओआई के लिए

समग्र निवेश सीमा को वर्तमान के 10% से 24% करने के साथ किसी व्यक्तिगत पीआरओआई के लिए निवेश सीमा को 5% से बढ़ाकर 10% करने का भी प्रस्ताव है।

एआई सहित उभरती प्रौद्योगिकियां

48. 21 वीं सदी प्रौद्योगिकी प्रेरित है। प्रौद्योगिकी का अंगीकरण सभी लोगों के हित के लिए है- खेतों में किसानों, स्टेम में महिलाओं, कौशल वृद्धि के लिए इच्छुक युवाओं और दिव्यांगजनों के लाभ हेतु नए अवसर। सरकार ने एआई मिशन, राष्ट्रीय क्वांटम मिशन, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड, और अनुसंधान, विकास एवं नवाचार निधि के माध्यम से नई प्रौद्योगिकियों को सहायता प्रदान करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं।

49. हमारा दूसरा कर्तव्य आकांक्षाओं को पूरा करना और क्षमता निर्माण है। हमारी सरकार के एक दशक से सतत् और सुधार-उन्मुखी प्रयासों के माध्यम से लगभग 25 करोड़ लोग विभिन्न स्तरों पर व्याप्त गरीबी से ऊपर उठ गए हैं।

50. इसलिए हमारी सरकार ने निम्नलिखित उपायों से युवा भारत की आकांक्षाओं को पूरा करने का मार्ग प्रशस्त करने के लिए सेवा क्षेत्र पर फिर से जोर देने का निर्णय लिया है।

'शिक्षा से रोजगार एवं उद्यम' संबंधी उच्चाधिकार प्राप्त स्थायी समिति

51. मैं, विकसित भारत के मुख्य संचालक के रूप में सेवा क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उपायों की सिफारिश करने हेतु एक उच्चाधिकार प्राप्त 'शिक्षा से रोजगार एवं उद्यम' स्थायी समिति के गठन का प्रस्ताव करती हूँ। यह हमें, वर्ष 2047 तक 10% की वैश्विक हिस्सेदारी के साथ सेवा क्षेत्र में वैश्विक अग्रणी बनाएगा। यह समिति विकास, रोजगार और निर्यातों के लिए संभावनाओं को बढ़ाने के लिए क्षेत्रों को प्राथमिकता देगी। वे नौकरी और कौशल आवश्यकताओं पर एआई सहित उभरती प्रौद्योगिकियों के प्रभाव का भी आकलन करेंगे और उसके लिए उपायों का प्रस्ताव करेंगे।

विकसित भारत के लिए पेशेवरों को तैयार करना

52. हमारे युवाओं के लिए कुशल कैरियर मार्ग की एक नई श्रृंखला तैयार करने के लिए, मैं निम्नलिखित क्षेत्रों में पहल किए जाने का प्रस्ताव करती हूँ:

स्वास्थ्य

53. संबद्ध स्वास्थ्य सेवा पेशवरों (एएचपी) के लिए मौजूदा संस्थानों का उन्नयन किया जाएगा और निजी तथा सरकारी क्षेत्रों में नए एएचपी संस्थानों की स्थापना की जाएगी। इसमें आप्टोमेट्री, रेडियोलॉजी, एनेस्थिसिया, ओटी टेक्नोलॉजी, अप्लाइड साइकोलोजी और व्यवहार संबंधी स्वास्थ्य सहित 10 चयनित विषय क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा और अगले 5 वर्षों में 100,000 एएचपी जोड़े जाएंगे।

54. वृद्धों की चिकित्सा और संबद्ध देखभाल सेवाओं को शामिल करते हुए एक मजबूत देखभाल सेवा परिवेश बनाया जाएगा। देखभाल सेवा और स्वास्थ्य, योग, मेडिकल और सहायक उपकरणों का प्रचालन जैसे संबद्ध कौशलों का संयोजन करके बहु-कौशलयुक्त देखभाल सेवा प्रदाताओं को प्रशिक्षित करने के लिए, अनेक एनएसक्यूएफ-अनुरूप कार्यक्रमों का विकास किया जाएगा। आने वाले वर्षों में, 1.5 लाख देखभाल सेवा प्रदाताओं को प्रशिक्षित किया जाएगा।

चिकित्सा मूल्य पर्यटन केंद्र

55. भारत को चिकित्सा पर्यटन सेवा केंद्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए, मैं निजी क्षेत्र की साझेदारी में पांच क्षेत्रीय चिकित्सा केंद्रों की स्थापना के लिए राज्यों को सहायता प्रदान करने की एक योजना का शुभारंभ करने का प्रस्ताव करती हूँ। ये केंद्र एकीकृत स्वास्थ्य सेवा परिसरों के रूप में सेवा प्रदान करेंगे, जिनमें चिकित्सा, शैक्षिक और अनुसंधान सुविधाएं होंगी। इनमें नैदानिक, बाद के देखभाल और पुनर्वास के लिए आयुष केंद्र, चिकित्सा मूल्य पर्यटन सुविधा केंद्र होंगे। ये केंद्र डॉक्टरों और एएचपी सहित स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों को विविध कार्य अवसर प्रदान करेंगे।

आयुष

56. विश्व के विभिन्न भागों में पहले से सम्मान प्राप्त प्राचीन भारतीय योग को व्यापक वैश्विक पहचान तब मिली, जब माननीय प्रधानमंत्री इसे यूएन में लेकर गए। कोविड के पश्चात, आर्युवेद को भी समान वैश्विक स्वीकार्यता और पहचान मिली है।

57. गुणवत्तापूर्ण आयुर्वेद उत्पादों के निर्यात से औषधीय पौधों की खेती करने वाले किसानों और इन उत्पादों का प्रसंस्करण करने वाले युवाओं को मदद मिलती है। बढ़ रही वैश्विक मांग को पूरा करने के लिए कुछ और कदम उठाएं जा रहे हैं।

58. मैं, (i) 3 नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान स्थापित करने; (ii) प्रमाणन परिवेश के उच्च मानकों के लिए आयुष फार्मेसी और औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं का उन्नयन करने और अधिक कुशल कार्मिक उपलब्ध कराने; (iii) पारंपरिक दवाओं के लिए साक्ष्य आधारित अनुसंधान, प्रशिक्षण और जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए, जामनगर में डब्ल्यूएचओ वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र के उन्नयन का प्रस्ताव करती हूँ।

पशुपालन

59. पशुधन कृषि आय के लगभग 16% का योगदान देता है, जिसमें गरीब और सीमांत परिवार भी शामिल हैं। पशु-चिकित्सा पेशेवरों की संख्या को 20,000 से अधिक करके उनकी उपलब्धता को बढ़ाने के लिए, मैं निजी क्षेत्र में पशु रोग विशेषज्ञ और पैरा पशु-शल्य महाविद्यालय, पशु अस्पताल, नैदानिक प्रयोगशालाओं और प्रजनन सुविधाओं की स्थापना के लिए, एक ऋण संबद्ध पूंजी सब्सिडी सहायता योजना शुरू करने का प्रस्ताव करती हूँ। भारतीय और विदेशी संस्थानों के बीच सहयोग को भी सुविधाजनक बनाया जाएगा।

ऑरेंज अर्थव्यवस्था

60. भारत का एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स (एवीजीसी) क्षेत्र एक बढ़ता हुआ उद्योग है, जिसमें वर्ष 2030 तक 2 मिलियन पेशेवरों की आवश्यकता

होगी। मैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी, मुंबई को 15,000 माध्यमिक विद्यालयों और 500 महाविद्यालयों में एवीजीसी कंटेंट क्रिएटर लैब (सीसीएल) स्थापित करने में सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव करती हूँ।

डिजाइन

61. भारतीय डिजाइन उद्योग का तेजी से विस्तार हो रहा है और फिर भी भारतीय डिजाइनरों की कमी है। मैं, भारत के पूर्वी क्षेत्र में डिजाइन शिक्षा और विकास को बढ़ावा देने के लिए चुनौती मार्ग के माध्यम से एक नए राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव करती हूँ।

शिक्षा

62. हमारी सरकार बड़े औद्योगिक और लॉजिस्टिक कॉरीडोर के आसपास चुनौती मार्ग के माध्यम से 5 विश्वविद्यालय टॉउनशिप का निर्माण करने में राज्यों को सहायता प्रदान करेगी। इन योजनाबद्ध शैक्षणिक जोन में कई विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, अनुसंधान संस्थान, कौशल केन्द्र और आवासीय परिसर होंगे।

63. उच्चतर शिक्षा स्टेम संस्थानों में अध्ययन तथा प्रयोगशाला कार्य हेतु लगने वाला अधिक समय छात्राओं के लिए कुछ चुनौतियां पेश करती हैं। वीजीएफ/पूंजीगत सहायता के माध्यम से प्रत्येक जिले में 1 महिला छात्रावास की स्थापना की जाएगी।

64. गहन अनुभव के माध्यम से खगोल-भौतिकी और खगोल-विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए 4 टेलिस्कोप अवस्थापना सुविधाओं- नेशनल लार्ज सोलर टेलिस्कोप, नेशनल लार्ज ऑप्टीकल-इन्फ्रारेड टेलिस्कोप, हिमालयन चंद्र टेलिस्कोप और द कोसमोस-2 प्लेनेटोरियम की स्थापना की जाएगी।

पर्यटन

65. पर्यटन क्षेत्र में रोजगार सृजन, विदेशी मुद्रा आय और स्थानीय अर्थव्यवस्था का विस्तार करने में व्यापक भूमिका निभाने की क्षमता है।

66. मैं, मौजूदा राष्ट्रीय होटल प्रबंधन और केटरिंग प्रौद्योगिकी परिषद का उन्नयन करते हुए राष्ट्रीय आतिथ्य संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव करती हूँ। यह शैक्षणिक संस्थानों, उद्योग और सरकार के बीच सेतु के रूप में कार्य करेगा।

67. मैं, भारतीय प्रबंधन संस्थान के सहयोग से मानकीकृत, हाईब्रिड मोड में 12 सप्ताह के उच्च गुणवत्ता प्रशिक्षण पाठयक्रम के माध्यम से 20 प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में 10,000 गाइडों के कौशल उन्नयन हेतु प्रायोगिक योजना का भी प्रस्ताव करती हूँ।

68. सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और विरासत महत्व वाले सभी स्थानों के डिजिटल दस्तावेज तैयार करने के लिए नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड की स्थापना की जाएगी। यह पहल स्थानीय अनुसंधानकर्ताओं, इतिहासकारों, कंटेंट क्रिएटर्स और प्राद्योगिकी भागीदारों के लिए रोजगार के नए परिवेश का सृजन करेगा।

69. भारत के पास विश्व स्तरीय ट्रैकिंग और हाइकिंग का अनुभव प्रदान करने के लिए क्षमता तथा संभावनाएं हैं। हम निम्नलिखित के लिए सतत् परिवेश तंत्र विकसित करेंगें (i) हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू एवं कश्मीर; पूर्वी घाट में अराक्कू घाटी और पश्चिमी घाट में पोधीगई मलाई में मांउटेन ट्रेल। (ii) ओडिशा, कर्नाटक और केरल के तटीय क्षेत्रों में प्रमुख आश्रय स्थलों के पास टर्टल ट्रेल्स; और (iii) आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पुलिकट झील के किनारे बर्ड वाचिंग ट्रेल्स।

70. माननीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में, हमने वर्ष 2024 में इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस की स्थापना की थी। इस वर्ष भारत, प्रथम ग्लोबल बिग कैट शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है, जिसमें 95 सदस्य देशों के सरकारों के प्रमुख और मंत्री संरक्षण की सामूहिक रणनीतियों पर चर्चा करेंगे।

विरासत और संस्कृति पर्यटन

71. मैं, लोथल, धौलावीरा, राखीगढ़ी, अदिचनाल्लूर, सारनाथ, हस्तिनापुर और लेह पैलेस जैसे 15 पुरातात्विक स्थलों को जीवंत और अनुभवजन्य सांस्कृतिक गंतव्य के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव करती हूँ। उत्खनित स्थलों को विशेष वॉक-वे के माध्यम से जनता के लिए खोल दिया जाएगा। संरक्षण प्रयोगशालाओं, व्याख्यान केंद्रो और गाइडों की सहायता के लिए तल्लीन करने वाली कथानिरुपण कौशल और प्रौद्योगिकियों की शुरूआत की जाएगी।

खेल-कूद

72. खेल-कूद क्षेत्र कई प्रकार के रोजगार, कौशल और नौकरी के अवसर उपलब्ध कराता है। खेलो इंडिया कार्यक्रम के माध्यम से चल रहे खेल-कूद से जुड़ी प्रतिभाओं के सुव्यवस्थित विकास के प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए, मैं अगले दशक में खेल-कूद के क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए खेलो इंडिया मिशन शुरू करने का प्रस्ताव करती हूँ।

73. यह मिशन निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान करेगाः (क) प्रशिक्षण केन्द्रों द्वारा समर्थित (आधारभूत, माध्यमिक और एलीट स्तरों पर) एकीकृत प्रतिभा विकास पाथवे; (ख) कोच और सहायक कर्मचारियों का व्यवस्थित तरीके से विकास; (ग) खेल विज्ञान और प्रौद्योगिकी का एकीकरण; (घ) खेल संस्कृति को बढ़ावा देने और प्लेटफार्म उपलब्ध कराने के लिए प्रतिस्पर्धा और लीग का आयोजन; और (ङ) प्रशिक्षण और प्रतिस्पर्धा के लिए खेल अवसंरचना का विकास।

74. हमारा तीसरा कर्तव्य विकसित भारत के लिए सबका साथ, सबका विकास के हमारे विजन के अनुरूप है।

75. इसके लिए निम्नलिखित के लिए लक्षित प्रयास किए जाने अपेक्षित हैं: (क) छोटे और सीमांत किसानों पर विशेष ध्यान देते हुए उत्पादकता और उद्यमशीलता बढ़ाकर किसानों की आय में वृद्धि करना; (ख) आजीविका के अवसर, प्रशिक्षण और उच्च-गुणवत्तापूर्ण सहायक उपकरणों तक पहुँच प्रदान करने के माध्यम से दिव्यांगजनों का सशक्तीकरण; (ग) मानसिक स्वास्थ्य और ट्रॉमा केयर तक पहुँच सुनिश्चित करने के

लिए कमजोर समूहों का सशक्तीकरण; (घ) विकास और रोजगार के अवसरों में तेजी लाकर पूर्वोदय राज्यों और पूर्वोत्तर क्षेत्र पर ध्यान केन्द्रित करना।

किसानों की आय बढ़ाना

76. मत्स्य पालन: हम निम्नलिखित पहलों की शुरूआत करेंगे (i) 500 जलाशयों और अमृत सरोवरों के लिए एकीकृत विकास (ii) तटवर्ती क्षेत्रों में मत्स्य मूल्य श्रृंखला को सुदृढ़ करना और स्टार्ट-अप एवं मत्स्य पालक किसान उत्पादक संगठनों सहित महिला-प्रेरित समूहों को बाजार से जोड़ना।

77. पशुपालन: ग्रामीण और शहर के आस-पास के क्षेत्रों में गुणवत्तापरक रोजगार अवसर प्रदान करने के लिए हम उद्यमिता विकास में पशुपालन क्षेत्र को निम्नलिखित माध्यमों से सहायता प्रदान करेंगे: (क) ऋण आधारित सब्सिडी कार्यक्रम (ख) पशुधन उद्यमो का संवर्धन और उनका आधुनिकीकरण (ग) पशुधन, डेयरी और मुर्गीपालन के लिए एकीकृत संकेन्द्रित-मूल्य श्रृंखला का सृजन, और (घ) पशुधन किसान उत्पादक संगठनों को प्रोत्साहित करना।

78. उच्च मूल्य वाली कृषि: कृषि उत्पाद में विविधिता लाने, उत्पादकता बढ़ाने, किसानों की आय बढ़ाने और रोजगार के नए अवसर सृजित करने के लिए, हम अपने तटवर्ती इलाकों में नारियल, चंदन, कोको, काजू जैसे उच्च मूल्य वाली फसलों को सहायता प्रदान करेंगे। पूर्वोत्तर में अगर के पेड़ों और हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में बादाम, अखरोट और खुमानी जैसे गिरीदार फलों को भी सहायता प्रदान करेंगे।

79. भारत विश्व में सबसे बड़ा नारियल उत्पादक देश है। 10 मिलियम किसानों सहित लगभग 30 मिलियन लोग अपनी आजिविका के लिए नारियल पर निर्भर हैं। नारियल उत्पादन में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए, मैं नारियल संवर्धन योजना का प्रस्ताव रखती हूँ ताकि विभिन्न पहलों के माध्यम से उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाया जा सके, जिसमें नारियल उगाने वाले प्रमुख राज्यों में पुराने और गैर-उत्पादक नारियल के पेड़ों के स्थान पर नए सैपलिंग/पौधे/किस्में लगाना शामिल है।

80. भारत को कच्चे काजू और कोको उत्पादन तथा प्रसंस्करण में आत्मनिर्भर बनाने और निर्यात प्रतिस्पर्धा में वृद्धि करने तथा वर्ष 2030 तक भारतीय काजू और भारतीय कोको को प्रीमियम वैश्विक ब्रांड के रूप में बदलने के लिए, भारतीय काजू और कोको के लिए समर्पित कार्यक्रम का प्रस्ताव किया जाता है।

81. चंदन की लकड़ी भारत की सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत से घनिष्ठता से जुड़ी हुई है। भारतीय चंदन लकड़ी के पारितंत्र की गरिमा को पुनर्स्थापित करने हेतु इसके विशेष रूप से उत्पादन और कटाई-उपरांत प्रसंस्करण को प्रोत्साहित करने के लिए हमारी सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करेगी।

82. पुराने, कम उपज वाले फलोद्यानों के संरक्षण और पर्वतीय क्षेत्रों में अखरोट, बादाम और खुमानी के अधिक पैदावार को बढ़ाने के लिए एक समर्पित कार्यक्रम के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने और युवाओं को शामिल करके मूल्य वर्धन करने के लिए सहायता प्रदान की जाएगी।

भारत-विस्तार (कृषि संसाधनों तक पहुँच के लिए आभासी एकीकृत प्रणाली)

83. मैं, भारत-विस्तार का प्रस्ताव करती हूँ, जो एक बहुभाषीय एआई टूल है और जिसे एआई प्रणाली सहित कृषि संबंधी प्रणालियों के लिए, आईसीएआर पैकेज सहित एग्रीस्टैक पोर्टल के रूप में एकीकृत किया गया है। इससे कृषि उत्पादकता में वृद्धि होगी, किसानों को उचित निर्णय लेने में सक्षम बनाएगा और अनुकूल परामर्शी सहायता प्रदान करते हुए जोखिम को कम करेगा।

ग्रामीण महिला-प्रेरित उद्यमों के लिए शी-मार्ट

84. लखपति दीदी कार्यक्रम की सफलता से आगे बढ़ते हुए, मैं, महिलाओं को ऋण आधारित आजीविका से उद्यमों का स्वामी बनने के लिए अगला कदम उठाने में मदद करने का प्रस्ताव करती हूँ। संवर्धित और नवाचार वित्तपोषित लिखतों के माध्यम से क्लस्टर स्तरीय संघों के भीतर सामुदायिक स्वामित्व वाले खुदरा आउटलेट के रूप में स्व-सहायता उद्यम (शी) मार्ट स्थापित किए जाएंगे।

दिव्यांगजन सशक्तीकरण

85. दिव्यांगजन कौशल योजना: आईटी, एवीजीसी क्षेत्र, आतिथ्य और खाद्य एवं पेय क्षेत्र कार्य-उन्मुखी तथा प्रक्रिया-आधारित भूमिका प्रदान करते हैं, जो दिव्यांगजनों के लिए उपयुक्त हैं। हम प्रत्येक दिव्यांग समूहों के लिए उद्योग-संगत और अनुकूल विशिष्ट प्रशिक्षण के माध्यम से सम्मानजनक आजीविका के अवसर सुनिश्चित करेंगे।

86. दिव्यांग सहारा योजना: सभी पात्र दिव्यांगजनों के लिए उच्च-गुणवत्ता वाले सहायक उपकरणों तक समय से पहुँच एक मूलभूत आवश्यकता है। मैं, (i) सहायक उपकरणों का उत्पादन बढ़ाने, अनुसंधान और विकास तथा एआई एकीकरण में निवेश के लिए भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एएलआइएमसीओ) को सहायता उपलब्ध कराने, (ii) पीएम दिव्याशा केंद्रों को मज़बूत करने और आधुनिक रिटेल-स्टाइल केंद्रों के रूप में सहायक प्रौद्योगिकी मार्ट की स्थापना में सहायता का प्रस्ताव करती हूँ, जहां दिव्यांगजन और वरिष्ठ नागरिक सहायक उत्पादों को देख, परख और खरीद सकें।

मानसिक स्वास्थ्य और ट्रॉमा केयर के लिए हमारी वचनबद्धता की पुन:पुष्टि

87. उत्तर भारत में मानसिक स्वास्थ्य के लिए कोई राष्ट्रीय संस्थान नहीं है। इसीलिए हम निमहांस-2 की स्थापना करेंगे और रांची तथा तेजपुर में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों का क्षेत्रीय शीर्ष संस्थानों के रूप में उन्नयन भी करेंगे।

88. आपातकालीन स्थिति में परिवारों, विशेष रूप से गरीब और कमजोर लोगों को अप्रत्याशित व्यय का सामना करना पड़ता है। हम 50% जिला अस्पतालों में आपातकालीन और ट्रॉमा केयर केंद्रों की स्थापना करके इन क्षमताओं को सुदृढ़ करेंगे और उन्हें बढ़ाएंगे।

पूर्वोदय राज्यों और पूर्वोत्तर क्षेत्र पर विशेष ध्यान

89. पूर्वोदय: मैं दुर्गापुर में बेहतर-सम्पर्क नोड के साथ एकीकृत पूर्वी तट औद्योगिक कॉरीडोर के विकास, 5 पूर्वोदय राज्यों में 5 पर्यटन स्थलों के निर्माण और 4000 ई-बसों के प्रावधान का प्रस्ताव करती हूँ।

90. पूर्वोत्तर क्षेत्र में बौद्ध स्थल: पूर्वोत्तर क्षेत्र थेरावड़ा और महायान/वज्रयान परंपराओं का सभ्यता संगम है। मैं अरूणांचल प्रदेश, सिक्किम, असम, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बौद्ध सर्किट के विकास हेतु एक योजना शुरू करने का प्रस्ताव करती हूँ। इस स्कीम में मंदिरों और मठों का संरक्षण, तीर्थस्थल भाषांतरण केंद्र, संपर्क एवं तीर्थ यात्रियों की सुविधाएं शामिल होंगी।

16वां वित्त आयोग

91. 16वें वित्त आयोग ने दिनांक 17 नवंबर, 2025 को अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत की। संविधान के अनुच्छेद 281 के अंतर्गत दिए गए अधिदेश के अनुसार, सरकार ने आयोग की सिफारिशों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट पर स्पष्टीकरण ज्ञापन के साथ यह रिपोर्ट संसद में रखेगी। सरकार ने 41% की दर पर अंतरण के ऊर्ध्व हिस्से को बनाए रखने संबंधी आयोग की सिफारिश को स्वीकार कर लिया है। आयोग की सिफारिश के अनुसार, मैंने वित्त आयोग अनुदानों के रूप में, वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राज्यों को ₹1.4 लाख करोड़ का प्रावधान किया है। इसमें ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय और आपदा प्रबंधन अनुदान शामिल है।

राजकोषीय समेकन

92. सरकार सामाजिक आवश्यकताओं पर समझौता किए बिना लगातार हमारी राजकोषीय वचनबद्धताओं को पूरा करती रही है। राजकोषीय प्रबंधन के स्वीकार्य मानकों को पूरा करने के लिए, बजट 2025-26 में, मैंने संकेत दिया था कि केंद्र सरकार वर्ष 2030-31 तक 50±1% के ऋण-से-जीडीपी अनुपात तक पहुँचने का लक्ष्य रखेगी।

93. इसके अनुरूप, ऋण-से-जीडीपी अनुपात संशोधित अनुमान 2025-26 में जीडीपी के 56.1 प्रतिशत की तुलना में, बजट अनुमान 2026-27 में जीडीपी के 55.6 प्रतिशत रहने का अनुमान है। गिरता हुआ ऋण-से-जीडीपी अनुपात धीरे-धीरे ब्याज भुगतान पर व्यय को कम करके प्राथमिक क्षेत्र के व्यय के लिए संसाधनों को मुक्त करेगा।

94. ऋण लक्ष्य के लिए एक मुख्य प्रचालनात्मक लिखत राजकोषीय घाटा है। मैं इस गरिमामयी सदन को हर्ष के साथ यह सूचित करती हूँ कि मैंने 2025-26 तक जीडीपी के 4.5 प्रतिशत से नीचे राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए वित्त वर्ष 2021-22 में की गई अपनी वचनबद्धता को पूरा किया है। संशोधित अनुमान 2025-26 में, राजकोषीय घाटे का अनुमान जीडीपी के 4.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है जो 2025-26 के बजट अनुमान के बराबर है। ऋण समेकन की नई राजकोषीय दूरदर्शिता पथ के अनुरूप, बजट अनुमान 2026-27 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.3 प्रतिशत होने का अनुमान है।

संशोधित अनुमान 2025-26

95. गैर-ऋण प्राप्तियों का संशोधित अनुमान ₹34 लाख करोड़ है जिसमें से केंद्र की निवल कर प्राप्तियां ₹26.7 लाख करोड़ है। कुल व्यय का संशोधित अनुमान ₹49.6 लाख करोड़ है जिसमें से पूंजीगत व्यय लगभग ₹11 लाख करोड़ है।

बजट अनुमान 2026-2027

96. वर्ष 2026-2027 की आते हुए, गैर-ऋण प्राप्तियां और कुल व्यय का अनुमान क्रमश: ₹36.5 लाख करोड़ और ₹53.5 लाख करोड़ है। केंद्र की निवल कर प्राप्तियों का अनुमान ₹28.7 लाख करोड़ है।

97. राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण हेतु, दिनांकित प्रतिभूतियों से निवल बाजार उधारी का अनुमान ₹11.7 लाख करोड़ है। शेष वित्तपोषण छोटी बचतों और अन्य स्रोतों से आने की संभावना है। सकल बाजार उधारी का अनुमान ₹17.2 लाख करोड़ है।

अब मैं भाग ख की ओर बढ़ती हूँ।

भाग ख

प्रत्यक्ष कर

अध्यक्ष महोदय,

98. अब मैं, प्रत्यक्ष करों पर अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करूँगी।

नया आय कर अधिनियम

99. जुलाई, 2024 में, मैंने आयकर अधिनियम, 1961 की व्यापक समीक्षा की घोषणा की थी। इसे रिकॉर्ड समय में पूरा कर लिया गया और आयकर अधिनियम, 2025, दिनांक 01 अप्रैल, 2026 से प्रभावी हो जाएगा।

100. करदाताओं को स्वयं को अपनी अपेक्षाओं से भलीभांति परिचित होने के लिए पर्याप्त समय देते हुए इस सरलीकृत आयकर नियमावली और प्रपत्रों को शीघ्र ही अधिसूचित कर दिया जाएगा।

101. प्रपत्रों को इस प्रकार पुनः-डिजाइन किया गया है कि आम नागरिक इसे बिना किसी कठिनाई के इसका अनुपालन कर सके।

जीवन जीने की सुगमता

102. मैं, प्रस्ताव करती हूँ कि किसी साधारण व्यक्ति को मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण द्वारा अधिनिर्णीत ब्याज को आयकर से छूट दी जाएगी और इस मद में कोई स्रोत पर काटा गया कर नहीं होगा।

103. मैं, विदेश यात्रा कार्यक्रम पैकेज की बिक्री पर टीसीएस दर को बिना किसी राशि निर्धारण के मौजूदा 5 प्रतिशत और 20 प्रतिशत से कम करते हुए 2 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करती हूँ।

104. मैं, शिक्षा प्राप्त करने और चिकित्सा उद्देश्यों के लिए उदारीकृत धनप्रेषण योजना (एलआरएस) के अंतर्गत टीसीएस दर को 5 प्रतिशत से कम करके 2 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करती हूँ।

105. कार्यबल सेवाओं की आपूर्ति को टीडीएस के प्रयोजनार्थ विशिष्ट रूप से संविदाकारों को भुगतान के दायरे में लाने का प्रस्ताव है ताकि अस्पष्टता से बचा जा सके। इस प्रकार, इन सेवाओं पर टीडीएस की दर 1 प्रतिशत अथवा 2 प्रतिशत मात्र होगी।

106. मैं, छोटे करदाताओं के लिए एक योजना का प्रस्ताव करती हूँ जिसमें नियम आधारित स्वचालित प्रक्रिया से, कर-निर्धारण अधिकारी के समक्ष आवेदन दाखिल करने के स्थान पर कम अथवा शून्य कटौती प्रमाण-पत्र प्राप्त करना संभव हो सकेगा।

107. अलग-अलग कंपनियों में प्रतिभूतियां धारित करने वाले करदाताओं की सुविधा के लिए, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि डिपोजिट्री, निवेशक से प्रपत्र 15छ अथवा प्रपत्र 15ज स्वीकार करें तथा इसे सीधे विभिन्न संगत कंपनियों को उपलब्ध करा दें।

108. मैं, एक सांकेतिक शुल्क के भुगतान पर विवरणियों को संशोधित करने के लिए उपलब्ध समय को 31 दिसम्बर से 31 मार्च तक बढ़ाने का प्रस्ताव करती हूँ।

109. मैं, कर विवरणियों को दाखिल करने के लिए अलग-अलग समय-सीमा रखने का प्रस्ताव भी करती हूँ। आईटीआर 1 और आईटीआर 2 विवरणियों वाले व्यक्तियों द्वारा इसे 31 जुलाई तक दाखिल करना जारी रहेगा और गैर-लेखापरीक्षा व्यापार मामलों या न्यासों को 31 अगस्त तक समय की अनुमति देने के लिए प्रस्ताव किया जाता है।

110. किसी अनिवासी द्वारा अचल संपत्ति की बिक्री पर टीडीएस की कटौती किए जाने और टैन की आवश्यकता के बजाय निवासी क्रेता के पैन आधारित चालान के माध्यम से जमा किए जाने का प्रस्ताव है।

111. छात्रों, युवा पेशेवरों, तकनीकी कर्मचारियों, अन्यत्र चले गए अनिवासी भारतीयों और ऐसे अन्य छोटे करदाताओं की व्यवहारिक समस्याओं को दूर करने के लिए, मैं इन करदाताओं के लिए एक निश्चित आकार के नीचे आय अथवा परिसंपत्ति को प्रकट करने के लिए 6 माह की विदेशी परिसंपत्ति प्रकटीकरण योजना शुरू करने का प्रस्ताव करती हूँ।

112. यह योजना करदाताओं की दो श्रेणियों पर लागू होगा, नामतः

(क) जिन्होंने अपनी विदेशी आय या परिसंपत्ति प्रकट नहीं की है और

(ख) जिन्होंने अपनी विदेशी आय प्रकट की है और/या देय कर का भुगतान किया है, किंतु अपेक्षित परिसंपत्ति की घोषणा नहीं कर सके हैं।

श्रेणी (क) के लिए, अप्रकट आय/परिसंपत्ति की सीमा 1 करोड़ रुपए तक करने का प्रस्ताव है। उन्हें कर के रूप में परिसंपत्ति के उचित बाजार मूल्य का 30 प्रतिशत या अप्रकट आय का 30 प्रतिशत और दंड के स्थान पर अतिरिक्त आय कर के रूप में 30 प्रतिशत का भुगतान करना होगा एवं इससे अभियोजन से उन्मुक्ति होगी।

श्रेणी (ख) के लिए, परिसंपत्ति मूल्य 5 करोड़ रुपए तक करने का प्रस्ताव है। इसमें, 1 लाख रूपए के शुल्क के भुगतान पर दंड और अभियोजन दोनों से उन्मुक्ति होगी।

दंड और अभियोजन को युक्तिसंगत बनाना

113. कार्यवाहियों की विविधता व्यापार की सुगमता में बाधा डालती है। मैं, दोनों के लिए एक सामान्य आदेश के माध्यम से कर-निर्धारण और दंड कार्यवाहियों को एकीकृत करने का प्रस्ताव करती हूँ। अपील की प्रक्रिया के निष्कर्ष पर ध्यान दिए बिना प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील की अवधि के लिए दंड राशि के संबंध में करदाता पर कोई ब्याज देयता नहीं होगी। इसके अतिरिक्त, पूर्व-भुगतान की मात्रा 20 प्रतिशत से कम करके 10 प्रतिशत की जा रही है और इसकी गणना केवल मुख्य कर मांग पर होती रहेगी।

114. मुकदमेबाजी को कम करने के लिए एक अतिरिक्त उपाय के रूप में, मैं करदाता को संगत वर्ष के लिए लागू दर के अतिरिक्त, 10 प्रतिशत कर दर के साथ विवरणी को पुनर्निर्धारण कार्यवाहियों के पश्चात भी अद्यतन करने की अनुमति देने का प्रस्ताव करती हूँ। कर-निर्धारण अधिकारी उसके बाद अपनी कार्यवाहियों में केवल इस अद्यतन विवरणी का उपयोग करेंगे।

115. कम कर की सूचना देने के मामलों में, दंड और अभियोजन से उन्मुक्ति हेतु एक फ्रेमवर्क पहले से मौजूद है। मैं, उन्मुक्ति के इन फ्रेमवर्क को गलत सूचना देने के

संबंध में भी लागू करने का प्रस्ताव करती हूँ। तथापि, ऐसे मामले में, करदाता को देय कर और ब्याज के अलावा अतिरिक्त आयकर के रूप में कर राशि के 100 प्रतिशत का भुगतान करना अपेक्षित होगा।

116. खातों की लेखापरीक्षा कराने में विफलता, अंतरण मूल्य निर्धारण लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत न करने तथा वित्तीय लेनदेनों के लिए विवरण प्रस्तुत करने में चूक जैसी कतिपय तकनीकी चूकों के लिए दंडों को शुल्क में परिवर्तित करने का प्रस्ताव है।

117. मैं, कुछ गंभीर अपराधों की रोकथाम के संबंध में सावधानीपूर्वक संतुलन बनाते हुए आयकर अधिनियम के अंतर्गत अभियोजन ढांचे को युक्तिसंगत बनाने का प्रस्ताव करती हूँ।

118. लेखा बहियों और दस्तावेजों को प्रस्तुत न करना तथा वस्तु रूप में भुगतान के मामले में टीडीएस का भुगतान करने की आवश्यकता अपराध नहीं होगी। इसके अतिरिक्त, छोटे अपराधों के लिए केवल जुर्माना लगाया जाएगा।

119. शेष अभियोजनों को अपराध की प्रमात्रा के अनुपात में श्रेणीबद्ध किया जाएगा। इनका परिणाम, अधिकतम कारावास को कम करके दो वर्ष करते हुए केवल साधारण कारावास होगा जिसमें न्यायालयों को इन्हें जुर्माने में परिवर्तित करने की शक्तियां होंगी।

120. 20 लाख रूपये से कम के सकल मूल्य वाली अचल विदेशी परिसंपत्ति का गैर-प्रकटीकरण करने पर फिलहाल कोई दंड नहीं है। मैं दिनांक 01.10.2024 से भूतलक्षी प्रभाव से उनको अभियोजन से उन्मुक्ति का भी प्रस्ताव करती हूँ।

सहकारिता

121. अपने सदस्यों द्वारा जुटाए या उत्पादित दुग्ध, तिलहन, फल अथवा सब्जियों की आपूर्ति में संलग्न प्राथमिक सहकारी समितियों के लिए कटौती पहले से ही अनुमत्य है। मैं उनके सदस्यों द्वारा उत्पादित पशु चारा और कपास के बीज की आपूर्ति को इस कटौती में शामिल करने का प्रस्ताव करती हूँ।

122. मैं, नई कर व्यवस्था के अंतर्गत अंतर-सहकारी समिति लाभांश आय को इसके सदस्यों में आगे संवितरण की सीमा तक कटौती के रूप में अनुमति दिए जाने का

प्रस्ताव करती हूँ।

123. मैं, किसी अधिसूचित राष्ट्रीय सहकारी संघ द्वारा दिनांक 31.01.2026 तक कंपनियों में किए गए उनके निवेश पर प्राप्त लाभांश आय पर 3 वर्षों की अवधि के लिए छूट देने का भी प्रस्ताव करती हूँ। यह छूट केवल तभी प्रदान की जाएगी जब उक्त लाभांश को इसके सदस्य सहकारी समितियों में आगे वितरित किया जाएगा।

भारत के विकास इंजन के रूप में आईटी क्षेत्र को सहायता

124. भारत सॉफ्टवेयर विकास सेवाओं, आईटी समर्पित सेवाओं, ज्ञान प्रक्रिया आउटसोर्सिंग सेवाओं और सॉफ्टवेयर विकास से संबंधित संविदागत अनुसंधान और विकास सेवाओं के क्षेत्र में वैश्विक अग्रणी है। ये व्यवसाय क्षेत्र एक दूसरे से अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं।

125. इन सभी सेवाओं को उन पर लागू 15.5 प्रतिशत के एक समान सेफ हार्बर मार्जिन के साथ सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं की एकल श्रेणी के अंतर्गत सम्मिलित किए जाने का प्रस्ताव है।

126. आईटी सेवाओं के लिए सेफ हार्बर प्राप्त करने की सीमा को 300 करोड़ रुपये से पर्याप्त रूप से बढ़ाकर 2000 करोड़ रुपए किया जा रहा है।

127. आईटी सेवाओं के लिए सेफ हार्बर का अनुमोदन एक स्वचालित नियम आधारित प्रक्रिया द्वारा किया जाएगा जिसमें आवेदनों की जांच करने और स्वीकार करने के लिए किसी कर अधिकारी की आवश्यकता नहीं होगी। एक बार किसी आईटी सेवा कंपनी द्वारा इसके लिए आवेदन करने पर, कंपनी की इच्छानुसार इसी सेफ हार्बर को 5 वर्षों की अवधि के लिए जारी रखा जा सकता है।

128. मैं, अग्रिम मूल्य निर्धारण करार (एपीए) करने की इच्छुक आईटी सेवा कंपनियों के लिए आईटी सेवाओं हेतु एकपक्षीय एपीए प्रक्रिया को तेज करने का प्रस्ताव करती हूँ, जिसे 2 वर्षों की अवधि के भीतर पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। करदाता के अनुरोध पर 2 वर्ष की अवधि को आगे 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है।

129. मैं, एपीए में शामिल होने वाली कंपनी को उपलब्ध संशोधित विवरणी की सुविधा

उसकी संबद्ध संस्थाओं को भी प्रदान किए जाने का प्रस्ताव करती हूँ।

वैश्विक व्यापार और निवेश आकर्षित करना

130. डाटा केंद्रों में महत्वपूर्ण अवसंरचना को सक्षम बनाने और निवेश बढ़ाने की आवश्यकता पर विचार करते हुए, मैं किसी ऐसी विदेशी कंपनी के लिए वर्ष 2047 तक कर रियायत प्रदान करने का प्रस्ताव करती हूँ जो भारत से डाटा केंद्र सेवाओं का उपयोग करके वैश्विक तौर पर क्लाउड सेवाएं प्रदान करती हैं। तथापि, इसे भारतीय पुनर्बिक्री संस्था के माध्यम से भारतीय ग्राहकों को सेवा प्रदान करने की आवश्यकता होगी।

131. यदि डाटा सेंटर सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनी एक संबंधित कंपनी है तो, मैं उसे लागत पर 15 प्रतिशत का सेफ हार्बर प्रदान करने का भी प्रस्ताव करती हूँ।

132. इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण के लिए जस्ट-इन-टाइम कार्य कुशलता का उपयोग करने के लिए, मैं बीजक मूल्य के 2 प्रतिशत के लाभांतर पर किसी बाँडेड वेयरहाउस में कंपोनेंट वेयरहाउस के लिए अनिवासियों को सेफ हार्बर प्रदान करने का प्रस्ताव करती हूँ। लगभग 0.7 प्रतिशत का परिणामी कर प्रतिस्पर्धी क्षेत्राधिकार के मुकाबले काफी कम होगा।

133. भारत में टोल विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए, मैं ऐसे किसी अनिवासी को आयकर से 5 वर्षों के लिए छूट प्रदान करने का प्रस्ताव करती हूँ, जो बाँडेड क्षेत्र में किसी टोल विनिर्माता को पूंजीगत वस्तुएं, उपकरण अथवा टूलिंग उपलब्ध कराता है।

134. वैश्विक प्रतिभा के विशाल पूल को भारत में लंबी अवधि के लिए काम करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए, मैं अधिसूचित योजनाओं के अंतर्गत 5 वर्षों की प्रवास अवधि के लिए किसी अनिवासी विशेषज्ञ की वैश्विक (गैर-भारत स्रोत) आय के लिए छूट प्रदान करने का प्रस्ताव करती हूँ।

135. मैं उन सभी अनिवासियों को न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) से छूट प्रदान करने का प्रस्ताव करती हूँ, जो अनुमानित आधार पर कर का भुगतान करते हैं।

कर प्रशासन

136. मैं भारतीय लेखांकन मानक (इंडएएस) में ही आय परिकलन और प्रकटन मानकों (आईसीडीएस) के लिए अपेक्षाएं शामिल करने हेतु कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) की एक संयुक्त समिति के गठन का प्रस्ताव करती हूँ। कर वर्ष 2027-28 से आईसीडीएस पर आधारित पृथक लेखाकंन अपेक्षाओं को समाप्त कर दिया जाएगा।

137. माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के स्वदेशी लेखांकन एवं परामर्शी प्रतिष्ठानों के वैश्विक अग्रणी बनने के विजन को साकार करने के लिए, मैं सेफ हार्बर नियमावली के प्रयोजनार्थ लेखाकार की परिभाषा को तर्कसंगत बनाने का प्रस्ताव करती हूँ।

अन्य कर प्रस्ताव

138. बायबैक के कराधान में परिवर्तन को इसलिए लाया गया कि प्रवर्तकों द्वारा बायबैक रूट का अनुचित उपयोग रोका जा सके। अल्पसंख्यक शेयरधारकों के हित में, मैं सभी प्रकार के शेयरधारकों के लिए बायबैक पर पूंजीगत लाभ के रूप में कर लगाने का प्रस्ताव करती हूँ। तथापि, कर विवाचन के दुरुपयोग को हतोत्साहित करने के लिए प्रवर्तक अतिरिक्त बायबैक कर का भुगतान करेंगे। इससे कारपोरेट प्रवर्तकों के लिए प्रभावी कराधान 22 प्रतिशत होगा। गैर-कारपोरेट प्रवर्तकों के लिए यह कर 30 प्रतिशत होगा।

139. विशिष्ट वस्तुओं नामतः एल्कोहल युक्त लिकर, स्क्रैप और खनिजों के विक्रेताओं के लिए टीसीएस दरों को तर्कसंगत बनाते हुए 2 प्रतिशत किया जाएगा और तेंदु पत्तों पर दरों को 5 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत किया जाएगा।

140. मैं, वायदा सौदों पर एसटीटी को मौजूदा 0.02 प्रतिशत से बढ़ाकर 0.05 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करती हूँ। ऑप्शन प्रीमियम और ऑप्शन कार्यकलाप दोनों पर एसटीटी को मौजूदा क्रमशः 0.1 प्रतिशत और 0.125 प्रतिशत से बढ़ाकर 0.15 प्रतिशत किए जाने का प्रस्ताव है।

141. हमने वर्ष 2019 में कॉर्पोरेट के लिए कराधान परिदृश्य में सुधार किया था जिसमें कम कर दरों के साथ उनको सरलीकृत व्यवस्था उपलब्ध कराई गई थी ताकि वे

कटौतियों और छूटों का दावा करने की बजाए कारोबार पर समुचित ध्यान केन्द्रित कर सकें।

142. कंपनियों को नई व्यवस्था में स्थानांतरित करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु, कंपनियों को आगे ले जाई गई मैट क्रेडिट को समायोजित करने की अनुमति केवल नई व्यवस्था में दिए जाने का प्रस्ताव है। नई व्यवस्था में उपलब्ध मैट क्रेडिट का उपयोग करके समायोजन कर देयताओं के ¼ की सीमा तक की अनुमति दिए जाने का प्रस्ताव है।

143. मैट को अंतिम कर बनाए जाने का प्रस्ताव है। इसलिए, 1 अप्रैल 2026 से कोई और क्रेडिट संचय नहीं होगा। इस परिवर्तन के अनुरूप 15 प्रतिशत की मौजूदा मैट दर को कम करके 14 प्रतिशत किया जा रहा है। 31 मार्च, 2026 तक संचित करदाताओं के आगे ले जायी गई मैट क्रेडिट उपरोक्तानुसार उनको समायोजन के लिए उपलब्ध रहेंगे।

अप्रत्यक्ष कर

144. अब मैं अप्रत्यक्ष करों से संबंधित प्रस्तावों पर आती हूँ। सीमा-शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क के लिए मेरे प्रस्तावों का लक्ष्य प्रशुल्क संरचना को और सरल बनाना, घरेलू विनिर्माण को सहायता देना, निर्यात प्रतिस्पर्धात्मक को प्रोत्साहित करना, और शुल्क में प्रतिलोम को ठीक करना है।

छूटों की समीक्षा तथा प्रशुल्क सरलीकरण

145. लंबे समय से चले आ रहे सीमा-शुल्क छूटों को समाप्त करने को जारी रखते हुए, मैं भारत में विनिर्मित हो रहे मदों अथवा जहां आयात नगण्य हैं, वहां पर कतिपय छूटों को हटाने का प्रस्ताव करती हूँ। इसी प्रकार, किसी विशेष मद पर लागू शुल्क की दर का निर्धारण करने की प्रक्रिया को और सरल करने के लिए, मैं प्रशुल्क अनुसूची में ही विभिन्न सीमा-शुल्क अधिसूचनाओं में कतिपय प्रभावी दरों को शामिल करने का प्रस्ताव करती हूँ।

146. मैं अब क्षेत्र विशिष्ट प्रस्तावों की चर्चा करूँगी।

समुद्री, चमड़ा, और वस्त्र उत्पादों का निर्यात संवर्धन

147. मैं, निर्यात हेतु समुद्री खाद्य उत्पादों के प्रसंस्करण के लिए उपयोग में आने वाली विशिष्ट निविष्टियों के शुल्क-मुक्त आयात की सीमा को, वर्तमान 1 प्रतिशत से बढ़ाकर पिछले वर्ष के निर्यात कारोबार के एफओबी मूल्य का 3 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करती हूँ।

148. मैं, विनिर्दिष्ट निविष्टियों के शुल्क-मुक्त आयात की अनुमति जूतों के ऊपरी हिस्सों के निर्यात के लिए देने का प्रस्ताव भी करती हूँ, जो वर्तमान में चर्म या सिंथेटिक फुटवेयर के निर्यात के लिए उपलब्ध है।

149. मैं, चर्म या वस्त्र परिधानों, चर्म या सिंथेटिक फुटवेयर तथा अन्य चर्म उत्पादों के निर्यातकों के लिए अंतिम उत्पाद के निर्यात हेतु समयावधि को मौजूदा 6 महीने से बढ़ाकर 1 वर्ष करने का प्रस्ताव करती हूँ।

ऊर्जा परिवर्तन और सुरक्षा

150. मैं, बैट्री ऊर्जा भंडारण प्रणालियों में लिथियम-आयन सेल विनिर्माण का उपयोग करने वालो के साथ-साथ बैट्रियों के लिए लिथियम-आयन सेल विनिर्माण के लिए प्रयुक्त पूंजीगत वस्तुओं को दिए जाने वाले मूल सीमा-शुल्क छूट को जारी रखने का प्रस्ताव करती हूँ।

151. मैं, सोलर ग्लास के विनिर्माण में उपयोग हेतु सोडियम एंटीमोनेट के आयात पर मूल सीमा-शुल्क के छूट का प्रस्ताव करती हूँ।

नाभिकीय ऊर्जा

152. मैं नाभिकीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए अपेक्षित वस्तुओं के आयात पर वर्तमान मूल सीमा-शुल्क छूट को वर्ष 2035 तक बढ़ाने और इसे उनकी क्षमता पर ध्यान दिए बिना सभी नाभिकीय संयत्रों पर लागू करने का प्रस्ताव करती हूँ।

महत्वपूर्ण खनिज

153. भारत में महत्वपूर्ण खनिजों के प्रसंस्करण हेतु आवश्यक पूंजीगत वस्तुओं के आयात के लिए मूल सीमा-शुल्क में छूट प्रदान करने के लिए प्रस्ताव किया जाता है।

बायोगैस मिश्रित सीएनजी

154. मैं, बायोगैस मिश्रित सीएनजी पर देय केंद्रीय सीमा शुल्क की गणना करते समय बायोगैस के संपूर्ण मूल्य को बाहर रखने का प्रस्ताव करती हूँ।

सिविल और रक्षा विमानन

155. मैं, सिविलियन, प्रशिक्षण और अन्य एयरक्राफ्ट के विनिर्माण के लिए अपेक्षित घटकों और पुर्जों पर मूल सीमा-शुल्क में छूट का प्रस्ताव करती हूँ।

156. रक्षा क्षेत्र में इकाइयों द्वारा अनुरक्षण, मरम्मत, अथवा ऑवरहॉल जरूरतों में प्रयोग किए जाने वाले विमानों के पुर्जों के विनिर्माण के लिए आयातित कच्चे माल पर मूल सीमा-शुल्क में छूट प्रदान करने के लिए प्रस्ताव करती हूँ।

इलेक्ट्रॉनिक्स

157. उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में मूल्यवर्धन को अधिक मजबूत करने के लिए, मैं माइक्रोवेव ओवन के विनिर्माण में प्रयुक्त विशिष्ट पुर्जों पर मूल सीमा-शुल्क में छूट का प्रस्ताव करती हूँ।

विशेष आर्थिक क्षेत्र

158. वैश्विक व्यापार विघटन के कारण विशेष आर्थिक क्षेत्रों में विनिर्माण इकाइयों द्वारा क्षमताओं के उपयोग के बारे में उभरती चिंताओं का समाधान करने के लिए, मैं, विशेष एक-बारगी उपाय के रूप में, सेज में पात्र विनिर्माण इकाइयों द्वारा रियायती शुल्क दरों पर घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (डीटीए) को बिक्री की सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव करती हूँ। इसे इस तरीके से किया जाएगा कि उनका मुख्य जोर निर्यात पर बना रहे। डीटीए में कार्यरत इकाइयों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करते हुए इन उपायों को प्रचालनात्मक बनाने के लिए आवश्यक विनियामक संशोधन किए जाएंगे।

जीवन जीने की सुगमता

159. निजी उपयोग के लिए आयातित वस्तुओं हेतु सीमा-शुल्क संरचना को युक्तिसंगत बनाने के लिए, मैं निजी उपयोग के लिए आयातित सभी शुल्क-योग्य वस्तुओं पर प्रशुल्क दर को 20 प्रतिशत से कम करते हुए 10 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करती हूँ।

160. रोगियों, विशेष रूप से कैंसर से पीड़ित रोगियों को राहत देने के लिए, मैं 17 औषधियों अथवा दवाओं पर मूल सीमा शुल्क में छूट का प्रस्ताव करती हूँ।

161. मैं, उनके उपचार में प्रयुक्त औषधियों, दवाओं और विशेष चिकित्सा प्रयोजन खाद्य (एफएसएमपी) के निजी आयातों पर आयात शुल्क से छूट के प्रयोजनार्थ 7 अतिरिक्त असाधारण रोगों को जोड़ने का प्रस्ताव करती हूँ।

सीमा-शुल्क प्रक्रिया

162. *'विकसित भारत'* की ओर हमारी महात्वाकांक्षा और यात्रा के अनुरूप, वैश्विक व्यापार में भारत की भूमिका और हिस्से में व्यापक वृद्धि होने वाली है। इस संबंध में, मैं सीमा-शुल्क प्रक्रियाओं के लिए कई उपायों का प्रस्ताव करती हूँ ताकि वस्तुओं के सुगम और त्वरित संचलन तथा व्यापार में अधिक निश्चितता के लिए कम से कम

हस्तक्षेप हो।

विश्वास आधारित प्रणालियां

163. मैं, टियर 2 और टियर 3 प्राधिकृत आर्थिक प्रचालकों, जिन्हें एईओ कहा जाता है, के लिए शुल्क स्थगन अवधि को 15 दिन से बढ़ाकर 30 दिन करने का प्रस्ताव करती हूँ।

164. मैं, पात्र विनिर्माताओं आयातकों को समान शुल्क स्थगन सुविधा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव करती हूँ। इससे उन्हें नियत समय पर पूर्ण टियर 3-एईओ के रूप में अपना प्रत्यायन प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।

165. अधिक निश्चितता और बेहतर व्यवसाय आयोजना उपलब्ध कराने हेतु, मैं सीमा-शुल्कों पर बाध्यकारी अग्रिम नियम की वैधता अवधि को वर्तमान 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष करने का प्रस्ताव करती हूँ।

166. सरकार के समग्र दृष्टिकोण की मूल भावना के अनुरूप, सरकारी एजेंसियों को उनके कार्गों के समाशोधन में अधिमान्य व्यवहार हेतु एईओ प्रत्यायन का लाभ लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

167. लंबे समय से विश्वास-प्राप्त आपूर्ति श्रृंखलाओं वाले नियमित आयातकों को जोखिम प्रणाली में मान्यता दी जाएगी, ताकि प्रत्येक बार उनके कार्गों के सत्यापन की आवश्यकता को कम किया जा सके। इलेक्ट्रॉनिक सीलिंग का उपयोग करने वाले निर्यात कार्गों को फैक्ट्री परिसर से पोत तक पूरा समाशोधन उपलब्ध कराया जाएगा।

168. उन वस्तुओं के आयात, जिनके लिए किसी अनुपालन की आवश्यकता नहीं है, विश्वस्त आयातक द्वारा प्रवेश बिल दायर करने और वस्तुओं के आगमन पर सीमा-शुल्क को उनके समाशोधन की औपचारिकताएं पूरी करने के लिए स्वतः सूचना मिल जाएगी। इससे वस्तुओं के आगमन के तत्काल बाद निर्मुक्त किए जाने को सक्षम बनाया जा सकेगा।

169. सीमा-शुल्क भंडारण फ्रेमवर्क को स्व-प्रकटन, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग और जोखिम आधारित लेखा-परीक्षा के साथ एक भंडार संचालक-केंद्रित प्रणाली में बदला जाएगा। ये सुधार अधिकारी पर निर्भर अनुमोदनों की वर्तमान प्रणाली को हटाएंगे और

इससे लेनदेन विलंबों और अनुपालन लागतों में कमी आएगी।

व्यापार करने की सुगमता

170. विभिन्न सरकारी एजेंसियों से कार्गो समाशोधन के लिए अपेक्षित अनुमोदनों की प्रक्रिया को इस वित्त वर्ष के अंत तक एकल और परस्पर जुड़े हुए डिजिटल विंडों के माध्यम से निर्बाध बनाया जाएगा। खाद्य, औषधि, पौध, पशु और वन्य-जीव उत्पादों, जो निषिद्ध कार्गों का 70 प्रतिशत होता है, के समाशोधन में शामिल प्रक्रियाओं को अप्रैल 2026 तक प्रचालनात्मक बना दिया जाएगा।

171. जिन वस्तुओं के लिए कोई अनुपालन अपेक्षा नहीं है, उन वस्तुओं को आयातक द्वारा ऑनलाइन पंजीकरण पूरा करने के तत्काल बाद सीमा-शुल्क द्वारा, शुल्क के भुगतान के अध्यधीन समाशोधित किया जाएगा।

172. सभी सीमा-शुल्क प्रक्रियाओं के लिए एकल, एकीकृत और मापनीय प्लेटफॉर्म के रूप में सीमा-शुल्क एकीकृत प्रणाली (सीआईएस) 2 वर्षों में शुरू की जाएगी।

173. गैर-सन्निविष्ट स्कैनिंग और उन्नत इमेजिंग तथा जोखिम आकलन हेतु एआई प्रौद्योगिकी का उपयोग सभी प्रमुख पत्तनों में प्रत्येक कंटेनर को स्कैन करने के उद्देश्य से चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा।

नए निर्यात अवसर

174. हमारे क्षेत्रीय जल क्षेत्र के बाहर समुद्री संसाधनों के आर्थिक मूल्य का पूर्ण रूप से दोहन करने के लिए भारतीय मछुआरों की सहायता के लिए, निम्नलिखित उपाय किए जाएंगे।

क. विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) अथवा बीच समुद्र में मछली पकड़ने वाले भारतीय नौकाओं द्वारा पकड़ी गई मछली को शुल्क मुक्त किया जाएगा।

ख. विदेशी पत्तन पर ऐसी मछली के उतराई को निर्यात वस्तु के रूप में स्वीकार किया जाएगा।

मछली पकड़ने, पारगमन और ढुलाई के दौरान दुरुपयोग को रोकने के लिए सुरक्षा उपाय किए जाएंगे।

175. ई-कॉमर्स के माध्यम से वैश्विक बाजारों में पहुँच के लिए भारत के छोटे व्यवसायों, कारीगरों और स्टार्टअप की आकांक्षाओं को सहायता प्रदान करने के लिए, कुरियर निर्यातों पर प्रति खेप ₹10 लाख की वर्तमान मूल्य सीमा को पूरी तरह हटाने की घोषणा करते हुए मुझे हर्ष हो रहा है। इसके अलावा, ऐसी खेपों की पहचान के लिए प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग से अस्वीकृत और वापस लौटाई गई खेपों के प्रबंध में सुधार किया जाएगा।

जीवन जीने की सुगमता

176. यात्रियों की वास्तविक चिंताओं का समाधान करने के लिए, मैं, अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के दौरान सामान निकासी को शासित करने वाले प्रावधानों के संशोधन का प्रस्ताव करती हूँ। संशोधित नियमों से वर्तमान समय की यात्रा संबंधी वास्तविकताओं के अनुरूप, शुल्क-मुक्त भत्ते में वृद्धि होगी और अंदर लाई गई अथवा बाहर ले जाई गई वस्तुओं की अस्थायी ढुलाई में स्पष्टता आएगी।

177. ऐसे ईमानदार करदाता हैं, जो उनके सभी बकायों का भुगतान करके विवादों का निपटान करने के इच्छुक होते हैं। किंतु वे दंड से जुड़ी नकारात्मक भावनाओं के कारण ऐसा नहीं करते हैं। अब वे दंड के बदले में अतिरिक्त राशि का भुगतान करके अपने मामले बन्द करने में सक्षम होंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही, मैं यह बजट इस गरिमामयी सदन के समक्ष रखती हूँ।

जय हिंद !

भाग क का अनुलग्नक

शिक्षा से रोजगार और उद्यम संबंधी उच्च स्तरीय स्थायी समिति के सांकेतिक विचारार्थ विषय

i. विकास, रोजगार और निर्यात की संभावना वाले सेवा उप-क्षेत्रों की पहचान करना, रोजगार संभावना का पता लगाने के लिए क्षेत्र विशिष्ट अंतर और समाधान उपायों की पहचान करना;

ii. मानक निर्धारण और प्रत्यायन सहित विभिन्न क्षेत्रों संबंधी नीति और विनियामक मुद्दों की पहचान करना;

iii. सेवा निर्यात के क्षेत्रों की जांच करना;

iv. एआई सहित उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के नौकरियों और कौशल अपेक्षाओं पर प्रभाव का आकलन करना;

v. स्कूल स्तर से ही शैक्षिक पाठ्यक्रम में एआई को जोड़ने के लिए विशिष्ट उपायों का प्रस्ताव करना और शिक्षक प्रशिक्षण के लिए राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद संस्थानों का उन्नयन;

vi. एआई और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों में प्रौद्योगिकी पेशेवरों/इंजीनियरों के कौशल संवर्धन और प्रशिक्षण के लिए उपायों का प्रस्ताव करना; और

vii. कामगारों, नौकरियों और प्रशिक्षण अवसरों के एआई समर्थित मानचित्रण के लिए उपायों का प्रस्ताव करना; और

viii. प्रगति की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए अनौपचारिक कार्य प्रवाह को दृष्यमान, सत्यापन योग्य और भविष्य के लिए तैयार करने हेतु उपायों का प्रस्ताव करना; और

ix. विश्व भर से कुशल भारतीय डायस्पोरा और विदेशी कौशल को देश में आकर्षित करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों का प्रस्ताव करना।

बजट भाषण के भाग ख का अनुलग्नक

प्रत्यक्ष करों से संबंधित संशोधन

1. जीवन की सुगमता

(i) मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (एमएसीटी) द्वारा निर्णित हर्जाना राशि पर ब्याज की छूट

- मोटर वाहन दुर्घटना के पीड़ितों और उनके परिवार के दुःखों को कम करने के लिए एमएसीटी द्वारा निर्णित हर्जाना राशि पर किसी ब्याज पर छूट देने का प्रस्ताव है।
- यह भी प्रस्ताव है कि किसी व्यक्ति के मामले में एमएसीटी द्वारा निर्णित ब्याज की राशि कितनी भी क्यों न हो, ऐसे ब्याज के लिए स्रोत पर कर कटौती नहीं की जाएगी।

(ii) कर्मचारियों की आपूर्ति के लिए टीडीएस की दर के लागू होने के संबंध में अस्पष्टता को दूर करना

- कर्मचारियों की आपूर्ति को आय कर अधिनियम की धारा 402(47) के अधीन "कार्य" की परिभाषा में शामिल करने का प्रस्ताव है, ताकि यह प्रावधान किया जाए कि कर्मचारियों की ऐसी आपूर्ति पर धारा 393(1) के उपबंधों के तहत "ठेकेदारों को भुगतान" [तालिका क्रम सं. 6(i) और (ii)] के रूप में स्रोत पर कर कटौती की जाए और न की धारा 393(1) के अधीन "व्यावसायिक सेवाओं के लिए शुल्क" [तालिका सं. (iii)] के उपबंधों के अधीन।

(iii) कम दर पर आय कर कटौती करने या आय कर की कटौती नहीं करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन और प्रमाण पत्र निर्गमन को सक्षम करना

- भुगतान प्राप्त करने वाले को एक ऑनलाइन विकल्प उपलब्ध करा कर छोटे करदाताओं के अनुपालन बोझ को कम करने का प्रस्ताव है, जिसमें वह इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन के बाद ऑनलाइन जारी किए जाने

के लिए प्रस्तावित कम दर पर आय कर कटौती अथवा शून्य कर कटौती के लिए प्रमाण पत्र जारी करने हेतु आवेदन कर सकेगा।

(iv) आयकर अधिनियम की धारा 393(6) के अधीन न्यास में स्रोत पर कर की शून्य कटौती के लिए घोषणा दायर करने को सक्षम करना

- करदाता द्वारा न्यास में स्रोत पर कर की कटौती नहीं होने की घोषणा दायर करने की अनुमति देने की प्रस्ताव है, जहां आय की प्रकृति निम्नलिखित है- (i) म्यूचुअलफंड की यूनिट से आय (ii) प्रतिभूतियों से ब्याज आय और (iii) लाभांश। यह अलग-अलग करदाताओं के लिए अलग-अलग घोषणा दायर करने हेतु निवेशक की अपेक्षाओं का समाधान करेगा। न्यास ऐसी घोषणाओं को ऐसी आय के भुगतान हेतु उत्तरदायी व्यक्ति को सूचित करेगा।
- यह भी प्रस्ताव है कि ऐसी आय के भुगतान के लिए उत्तरदायी व्यक्ति करदाता से उसके द्वारा प्राप्त घोषणा को मौजूदा मासिक आधार के स्थान पर त्रैमासिक आधार पर विभाग को प्रस्तुत करेगा।

(v) संशोधित रिटर्न अथवा विलंबित रिटर्न दायर करने के लिए समय विस्तार

- वर्तमान में अगले कर वर्ष के 31 दिसंबर तक रिटर्न दायर की जा सकती है। धारा 92ङ के तहत अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार में संलग्न व्यक्तियों के लिए रिटर्न दायर करने की अवधि 31 अक्तूबर तक बढ़ाई गई है। इस संबंध में, संशोधित रिटर्न दायर करने की अवधि को अगले कर वर्ष के 31 मार्च तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। यह संशोधित रिटर्न मूल रिटर्न अथवा विलंबित रिटर्न हो सकते हैं। 31 दिसंबर के बाद किए गए मूल रिटर्न अथवा विलंबित रिटर्न के संशोधन के लिए 1000 रुपये या 5000 रुपये का नाममात्र शुल्क लगाने का भी प्रस्ताव है, जो इस बात पर निर्भर करेगा कि आय 5 लाख रुपये तक है या उससे अधिक।

(vi) गैर-लेखापरीक्षणीय व्यवसाय और न्यासों के लिए आयकर रिटर्न दायर करने की निर्धारित तिथि में परिवर्तन

- 31 जुलाई तक को कर रिटर्न दायर करने के लिए अलग-अलग समय का प्रावधान करने का प्रस्ताव है। आईटीआर-1 और आईटीआर-2 दायर करने वाले व्याक्ति 31 जुलाई तक टैक्स रिटर्न दायर करना जारी रख सकते हैं और गैर-लेखापरीक्षणीय व्यवसाय और ट्रस्टों के मामले में निर्धारित तारीख 31 अगस्त होगी।

(vii) किसी प्रवासी द्वारा निवासी व्यक्ति अथवा एचयूएफ को अचल संपत्ति की बिक्री पर अनुपालन में कमी।

- यह प्रावधान करने का प्रस्ताव है कि निवासी व्यक्ति या एचयूएफ के लिए धारा 393(2) [तालिका क्रम सं. 17] के तहत प्रवासी व्यक्ति द्वारा किसी अचल संपत्ति के अंतरण पर किसी विचार के संबंध में स्रोत पर कर कटौती के लिए कर कटौती और संग्रहण खाता संख्या (टीएएन) प्राप्त करना अपेक्षित नहीं होगा। इसके स्थान पर, कटौती को पैन नंबर के साथ उसी प्रकार सूचित किया जाएगा जैसे दो निवासियों के बीच इस प्रकृति के संव्यवहार को सूचित किया जाता है।

(viii) कर्मचारी अंशदान का कटौती के रूप में दावा करने के लिए नियोक्ता द्वारा कर्मचारी अंशदान को जमा करने की निर्धारित तारीख को युक्तिसंगत बनाना।

- यह प्रस्ताव है कि नियोक्ता के रूप में कर निर्धारक द्वारा कर्मचारी से प्राप्त अंशदान की किसी राशि की कटौती की निर्धारणकर्ता के हाथ में कटौती के रूप में अनुमति होगी यदि ऐसी राशि कर निर्धारक द्वारा किसी भविष्य निधि या अधिवर्षिता निधि या कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के उपबंधों के अधीन स्थापित किसी निधि में अधिनियम

की धारा 263(1) के अधीन आय कर विवरण दायर करने के निर्धारित तारीख को या उससे पहले जमा की जाती है।

(ix) जीवन बीमा व्यवसाय के अतिरिक्त किसी अन्य व्यवसाय के लाभ या आय की गणना से संबंधित प्रावधान को युक्तिसंगत बनाना।

- यह प्रस्ताव है कि कोई राशि जिसे अधिनियम की धारा 35 (ख) (i) अथवा (ii) के उपबंधों के अनुसार पहले गैर-जीवन बीमा व्यवसाय की आय में जोड़ा गया था, जिसकी कर के रूप में कटौती नहीं की गई थी अथवा भुगतान नहीं किया गया था, उसकी अधिनियम की धारा 35 (ख) (i) अथवा (ii) के उपबंधों के अनुसार उस कर वर्ष में, जिसमें कटौती की गई या भुगतान किया गया, कटौती करने की अनुमति होगी।

(x) छोटे करदाताओं की विदेशी आस्तियां – प्रकटीकरण स्कीम (एफएएसटी – डीएस) शुरु करना

- कतिपय सीमा से कम राशि के मामले में करदाताओं के लिए विदेशी आस्तियों और विदेशी स्रोत से आय की घोषणा के लिए समयबद्ध स्कीम शुरू करने का प्रस्ताव है।

2. अर्थदंड और अभियोजन को युक्तिसंगत बनाना

(i) कार्यवाहियों की बहुलता में कमी

- वर्तमान में, निर्धारण कार्यवाहियों के पूरा होने के बाद दण्ड कार्यवाहियां शुरू की जाती हैं। इससे किसी निर्धारण से उत्पन्न मामले के समापन में लंबा समय लगता है। कार्यवाहियों की बहुलता से लंबित अपीलों की संख्या, विवाद और अनुपालन की लागत में वृद्धि होती है। विवादों के त्वरित समाधान का उपबंध करने के लिए करदाता को मामले पर स्पष्टीकरण देने के लिए युक्तिसंगत अवसर देकर एक सामान्य आदेश द्वारा निर्धारण और अर्थदंड कार्यवाहियों को एकीकृत

करने का प्रस्ताव है।

- मांग की मात्रा में वृद्धि से उत्पन्न कठिनाइयों से करदाताओं को राहत देने के लिए अर्थदंड पर ब्याज को प्रथम अपील अधिकारी के समक्ष अपील लंबित रहने तक स्थगित रखने का प्रस्ताव है।

(ii) आय की गलत सूचना देने के परिणामस्वरूप कम आय की सूचना के लिए अर्थदंड और ऐसे मामलों में अभियोजन से उन्मुक्ति

अर्थदंड दो प्रकार के हैं-

(i) गलती या नजर अंदाज होने के कारण कम आय की सूचना जहां अर्थदंड कर राशि का 50 प्रतिशत है और आय की गलत सूचना के परिणामस्वरूप कम आय दिखाने के लिए फ्रेमवर्क

(ii) गलत या चूकपूर्ण सूचना देकर अथवा आय के प्रकार को गलत तरीके से प्रस्तुत करके आय की गलत सूचना के परिणामस्वरूप कम आय दिखाने के लिए अर्थदंड कर आय का 200 प्रतिशत है।

यदि कम आय की सूचना के लिए अर्थदंड कार्यवाही शुरू की जाती है तो अधिनियम की धारा 478 और 479 के अधीन अर्थदंड और अभियोजन से मुक्ति के लिए वर्तमान में एक फ्रेमवर्क है। इस संबंध में अतिरिक्त आयकर के रूप में कर राशि के 100 प्रतिशत के भुगतान पर इसे लागू करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा, अस्पष्ट स्रोत वाले नकदी ऋण के संबंध में आय की गलत सूचना का लिए कर के 120 प्रतिशत के साथ समाधान प्रावधान करने का प्रस्ताव है। ऐसे मामलों में अधिनियम के अध्याय XXII के उपबंधों के अनुसार अभियोजन में उन्मुक्ति नहीं दी जाएगी।

(iii) अर्थदंड का शुल्क में परिवर्तन

(i) खातों की लेखापरीक्षा में विफल रहने के लिए अर्थदंड,

(ii) टीपी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करने के लिए अर्थदंड

(iii) वित्तीय लेन-देन या रिपोर्ट किए जाने योग्य खाते के लिए विवरण प्रस्तुत करने में चूक के लिए अर्थदंड को

अधिकतम सीमा के अधीन चूक के प्रत्येक दिन के लिए प्रभारित शुल्क में बदलने का प्रस्ताव है।

(iv) अभियोजन फ्रेमवर्क को युक्तिसंगत बनाना

- लेखा और दस्तावेज प्रस्तुत करने, और नकद में किए गए भुगतान के लिए कटौतीकर्ता से टीडीएस का भुगतान सुनिश्चित करने की अपेक्षा को पूरी तरह अपराध से बाहर करने का प्रस्ताव है।
- यह भी प्रस्ताव है कि सभी अभियोजनों को युक्तिसंगत करते हुए सश्रम कारावास से बदल कर साधारण कारावास किया जाएगा।
- किसी अपराध (बार-बार के अपराध को छोड़कर) के लिए अधिकतम अधिकतम दंड को 7 वर्ष से कम करके 2 वर्ष करने का प्रस्ताव है।
- ऐसे मामलों में जहां वर्तमान में अधिकतम दंड दो वर्ष है, वहां दंड को जुर्माने के साथ या जुर्माने के बिना तथा न्यूनतम कारावास की सीमा से रहित करते हुए कम करके 06 माह कर दिया गया है।
- यह भी प्रस्ताव है कि आयकर अधिनियम 2025 के तहत अपराधों के लिए अभियोजन बचाई गई कर की राशि के आधार पर होगा और दंड अपराध की गंभीरता के अनुपात में होगा। ऐसे मामलों में कारावास के अधिकतम दंड की अपेक्षा को समाप्त कर दिया गया है और अनिवार्य जुर्माने की अपेक्षा को शिथिल करके वैकल्पिक बना दिया गया है।
- यह भी प्रस्ताव है कि गौण अपराध के लिए दंड के रूप में केवल

जुर्माने का प्रावधान किया जाएगा।

(v) अधिनियम की धारा 195 के तहत प्रभारित विशेष आय के लिए कर दर को युक्तिसंगत बनाना

- वर्तमान में नगद ऋण, अस्पष्ट निवेश, आदि की प्रकृति के आय जैसे कतिपय आय पर विशेष कर दर है। यह कर दर 60% है और अर्थदंड कर का 10% है। इन आयों पर कर दर को युक्तिसंगत करते हुए इसे 30% करने का प्रस्ताव है। ऐसी राशि पर अर्थदंड का विलय आय की गलत सूचना के परिणामस्वरूप कम आय की सूचना के लिए अर्थदंड में किया जाएगा, अर्थात कर राशि का 200%।

(vi) कुछ परिस्थितियों में तलाशी लिए गए व्यक्ति से इतर व्यक्तियों के मामले में तलाशी कर निर्धारण की छूट

- तलाशी मामलों में कर निर्धारण के प्रावधान वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2024 के माध्यम से प्रस्तुत किए गए थे। नई स्कीम में जहां अन्य व्यक्ति से संबंधित अपराध संकेती सामग्री का संबंध केवल एकल कर वर्ष से है वहां अन्य व्यक्ति को भी पूर्ण ब्लॉक कर निर्धारण प्रक्रिया से गुजरना अपेक्षित होता है जिसके कारण ऐसे व्यक्ति पर भी अनुपालन अपेक्षा का भार बढ़ जाता है जिसके विरूद्ध कोई भी तलाशी या मांग शुरू नहीं की गई थी।
- अन्य व्यक्ति के मामले में ब्लॉक की अवधि को सीमित किए जाने का प्रस्ताव है जहां अन्य व्यक्ति द्वारा प्रकट न की गई आय केवल एक कर वर्ष से संबंधित है। ऐसे मामलों में ब्लॉक अवधि की परिभाषा को तदनुसार संशोधित किए जाने प्रस्ताव है।

(vii) तलाशी कर निर्धारण के लिए समय-सीमा

- आयकर अधिनियम 2025 की धारा 296 को भी संशोधित किए जाने

का प्रस्ताव है ताकि तलाशी की सूचना की तिथि को ब्लॉक कर निर्धारण के लिए तिथि का निर्णय करने के संदर्भ बिन्दु के रूप में लिया जा सके जिसके परिणामस्वरूप विनिर्दिष्ट व्यक्ति के मामले में बारह महीनों की अवधि को बढ़ाकर अठारह महीने किए जाने का प्रस्ताव है।

(viii) अद्यतन विवरणी दर्ज करने के दायरे को बढ़ाया जाना

- जहां करदाता कोई अतिरिक्त आय दर्शाना चाहता है वहां कर विवरणी अपडेट करने की सुविधा मौजूद है। यह सुविधा संगत वर्ष के बाद पहले से चौथे वर्ष में 25%, 50%, 60%, 70% की कर देयता के लिए चार वर्षों की अवधि तक उपलब्ध रहती है, जब पहली बार आयकर विवरणी दायर करना अपेक्षित है। मुकदमेबाजी को कम करने के लिए अतिरिक्त उपाय उपलब्ध करवाने हेतु पुनः कर निर्धारण कार्यवाहियां शुरू होने के पश्चात भी करदाता को विवरणी अपडेट करने की अनुमति दिए जाने का प्रस्ताव है। इस अपडेशन से संगत वर्ष के लिए लागू दरों पर अतिरिक्त 10% की दर से कर लगाने में समर्थ बनाने का प्रस्ताव है।
- यह भी प्रस्ताव है कि ऐसे मामलों में जहां करदाता धारा 263(1) के अंतर्गत मूल विवरणी में दायर की गई हानि की राशि को कम करता है, वहां अपडेटेड विविरणी दायर की जा सकेगी।
- यह भी प्रस्ताव है कि जहां करदाता अद्यतन रिटर्न दायर करता है और अतिरिक्त आय रिपोर्ट करता है वहां ऐसी अतिरिक्त आय पर दंड नहीं लगाया जाएगा।

(ix) काला धन अधिनियम के अंतर्गत अभियोजन से प्रतिरक्षा

- काला धन (अप्रकट विदेशी आय और परिसंपत्ति) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 के अंतर्गत बीस लाख रूपये से कम की सकल मूल्य वाली अचल आस्तियों का प्रकटन न करने के लिए कोई अर्थदंड नहीं है। ऐसे मामलों में अभियोजन से इस प्रतिरक्षा को भूतलक्षी प्रभाव से लागू किए जाने का प्रस्ताव है जो दिनांक 01.10.2024 से प्रभावी रहेगी।

(x) क्रिप्टो आस्तियों के लेन-देन संबंधी ब्यौरे में विवरण प्रस्तुत न करने अथवा गलत विवरण प्रस्तुत करने के लिए अर्थदंड का प्रावधान

- आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 509 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने तथा विवरण प्रस्तुत न करने अथवा ऐसे विवरण में क्रिप्टो आस्तियों के संबंध में गलत विवरण प्रस्तुत करने के संबंध में निवारक उपाय तैयार करने के लिए अर्थदंड का प्रावधान पेश किए जाने का प्रस्ताव है। विवरण प्रस्तुन न करने के लिए प्रतिदिन 200 रुपये का अर्थदंड तथा गलत विवरण प्रस्तुत करने और इस प्रकार के गलत विवरण को ठीक करने में विफल रहने पर 50,000 रूपये का अर्थदंड अधिरोपित किए जाने का प्रस्ताव है।

3. सहकारिता

(i) केन्द्रीय सहकारी समिति को चारा और विनौला की आपूर्ति करने वाली प्राथमिक सहकारी समिति के लाभ और अभिलाभ की कटौती

- किसी केन्द्रीय सहकारी समिति और समान कार्यकलाप में संलग्न किसी अन्य को प्राथमिक सहकारी समितियों के सदस्यों द्वारा उत्पादित दुग्ध, तिलहन, फल अथवा सब्जियों की आपूर्ति करने वाली प्राथमिक सहकारी समितियों के लाभ और अभिलाभ की कटौती का

लाभ दिए जाने की अनुमति है। किसी केन्द्रीय सहकारी या सरकारी संगठनों को अन्य चीजों के साथ-साथ, चारा और विनौले की आपूर्ति करने वाली प्राथमिक सहकारी समिति के लिए इस कटौती का लाभ दिए जाने का प्रस्ताव है।

(ii) नई कर व्यवस्था के अंतर्गत अंतर-सहकारी समिति के लाभांश आय की कटौती

- पुरानी कर व्यवस्था में किसी दूसरी सहकारी समिति से किसी सहकारी समिति को प्राप्त लाभांश को कटौती के रूप में माने जाने की अनुमति है। नई कर व्यवस्था में इस कटौती की अनुमति न दिया जाना दोहरे करारोपण का कारण बन सकती है क्योंकि सहकारी समितियों द्वारा आगे वितरण पर इसके सदस्यों पर कर लगाया जा सकता है। इसलिए यह प्रस्ताव है कि अंतर-सहकारी समिति लाभांश आय को कटौती के रूप में उस सीमा तक अनुमति दी जाए जिसका वितरण आगे उसके सदस्यों के बीच किया जाता है।

(iii) नई कर व्यवस्था में अधिसूचित राष्ट्रीय सहकारी संघ द्वारा प्राप्त लाभांश आय की कटौती

- किसी अधिसूचित राष्ट्रीय सहकारी संघ द्वारा कंपनियों में किए गए उनके निवेश पर प्राप्त लाभांश आय पर तीन वर्षों की अवधि के लिए छूट दिए जाने का प्रस्ताव है। यह कटौती 31.01.2026 तक किए गए निवेश पर प्राप्त लाभांश तक सीमित है।
- इसके अलावा, यह छूट केवल तभी प्रदान की जाएगी जब उक्त लाभांश को इसके सदस्य सहकारी समितियों में आगे वितरित कर दिया जाए।

4. वैश्विक व्यापार और निवेश आकर्षित करना

(i) भारत में डाटा सेंटर सेवाओं का उपयोग सेवाएं प्रदान करने वाली किसी विदेशी कंपनी को वर्ष 2047 तक कर राहत।

- डाटा सेंटरों में महत्वपूर्ण अवसंरचना को सक्षम बनाने और निवेश को बढ़ाने की आवश्यकता पर विचार करते हुए यह प्रस्ताव है कि भारत में डाटा सेंटर सेवाओं का उपयोग करके विश्व के किसी भी भाग में सेवाएं प्रदान करने वाली किसी भी विदेशी कंपनी को वर्ष 2047 तक कर राहत प्रदान की जाए। भारतीय प्रयोक्ताओं को सेवाओं की बिक्री किसी भारतीय रीसेलर कंपनी द्वारा ही की जाएगी और उसपर उपयुक्त कर लगाया जाएगा।
- यह भी प्रस्ताव है कि किसी संबंधित विदेशी कंपनी (जो भारत के बाहर विश्व के किसी हिस्से में क्लाउड सेवाएं उपलब्ध करा रहा है) को डाटा सेंटर सेवाएं प्रदान करने वाली निवासी कंपनी को 15% का सेफ हार्बर उपलब्ध कराया जाए।

(ii) इलेक्ट्रॉनिक सामानों का विनिर्माण करने वाले टोल विनिर्माण क्षेत्र को प्रोत्साहन

- भारत में टोल विनिर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए यह प्रस्ताव है कि आबद्ध क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक सामानों के विनिर्माण में कार्यरत किसी टोल विनिर्माता को पूंजीगत सामान उपस्कर और टूलिंग उपलब्ध करवाने वाली किसी विदेशी कंपनी को छूट प्रदान की जाए। यह छूट 1 अप्रैल, 2026 से शुरू करके पांच कर वर्षों के लिए प्रस्तावित है।

(iii) भारत का दौरा करने वाले और लंबी अवधि के लिए निवास करने वाले किसी विशेषज्ञ की वैश्विक आय (भारतीय स्रोत से प्राप्त आय के अलावा) के लिए

छूट

- लंबी अवधि के लिए भारत में रहकर काम करने के लिए विश्व के प्रतिभाशाली लोगों का एक विस्तृत समूह बनाने के लिए यह आवश्यक है कि भारत में लंबे समय तक निवास करने के बावजूद केवल भारतीय स्रोत से प्राप्त आय पर ही कर लगाकर उनको चिंतामुक्त रखा जाए।
- तदनुसार, कोई विशेषज्ञ जो भारत आता है और पांच वर्ष की अवधि के लिए यहां निवास करता है, उसकी वैश्विक आय (भारतीय स्रोत से प्राप्त आय के अलावा) पर छूट दिए जाने का प्रस्ताव है। भारत का दौरा करने वाले विशेषज्ञ को भारत आने से पिछले पांच वर्षों की अवधि में अनिवासी के रूप में होना चाहिए तथा उसने अधिसूचित सरकारी स्कीम के अधीन सेवाएं उपलब्ध कराई हों।

(iv) प्रकल्पित करारोपण स्कीम का लाभ उठाने वाले अनिवासी के लिए एमएटी से छूट

- अधिकांस अनिवासी जो प्रकल्पित करारोपण स्कीम का लाभ उठाते हैं उन्हें न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) प्रावधानों की प्रयोज्यता से छूट दी जाती है। यह प्रस्ताव है कि सभी अनिवासी जो प्रकल्पित कर का भुगतान करते हैं उनको एमएटी से यह छूट प्रदान की जाए।

(v) महत्वपूर्ण खनिज पदार्थों की संभावना का पता लगाने को प्रोत्साहन

- महत्वपूर्ण खनिजों की संभावना और अन्वेषण को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए यह प्रस्ताव है कि कुछ महत्वपूर्ण खनिजों को अधिनियम की अनुसूची XII में खनिजों की सूची में शामिल किया जाए ताकि ऐसे महत्वपूर्ण खनिजों की संभावना और अन्वेषण पर होने वाले

व्यय को अधिनियम की धारा 51 के प्रावधानों के अनुसार कटौती के लिए पात्र बनाया जा सके।

(vi) आईएफएससी यूनिटों के लिए कटौती की अवधि का विस्तार और कर दर को युक्तिसंगत करना

- आईएफएससी की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए, धारा 147 के अधीन कटौती की अवधि को आईएफएससी में यूनिटों के लिए 25 वर्ष में से 20 लगातार वर्ष और ओबीयू के लिए 20 लगातार वर्ष करने का प्रस्ताव है। यह भी प्रस्ताव है कि कटौती की अवधि की समाप्ती के बाद आईएफएससी से इन यूनिटों की व्यवसाय आय पर 15 प्रतिशत की दर पर कर लगाया जाएगा।

(vii) आईएफएससी में ट्रेजरी केंद्रों के लिए कुछ मदों को युक्ति संगत करना

- आईएफएससी के ट्रेजरी केंद्र पर लागू मानित लाभांश को यह प्रावधान करके युक्तिसंगत करने का प्रस्ताव है कि मानित लाभांश का प्रावधान लागू नहीं होगा यदि

  (i) समूह का मूल निकाय या प्रधान निकाय भारत के बाहर किसी देश या क्षेत्र में सूचीबद्ध होगा; और

  (ii) लेनदेन से संबंधित ऐसा मूल या प्रधान निकाय या अन्य समूह निकाय केंद्र सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित विनिर्देशन के अनुसार भारत के बाहर किसी देश या क्षेत्र में स्थित है।

5. कारपोरेट कर व्यवस्था को युक्तिसंगत बनाना

नई कर व्यवस्था में स्थानांतरित होने वाली कंपनियों के लिए समायोजित आगे लाए गए एमएटी क्रेडिट के न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) और भत्तों की

दर में कटौती

- कंपनियों को नई व्यवस्था में स्थानांतरित करने में सक्षम बनाने के लिए एमएटी को अंतिम कर बनाए जाने और दरों को 15% से घटाकर 14% किए जाने का प्रस्ताव है। ऐसे भुगतान के संबंध में भावी कर वर्षों में क्रेडिट की अनुमति नहीं होगी।
- इसके अलावा, आगे लाए गए एमएटी क्रेडिट, जो 2026-27 के कर वर्ष के पहले उपलब्ध को, के समायोजन की अनुमति केवल उन घरेलू कंपनियों को दी जाएगी जो इसके बाद नई व्यवस्था में स्थानांतरित हो जाएंगी।
- 1.04.2026 की स्थिति के अनुसार अग्रेनीत नई कर व्यवस्था में एमएटी क्रेडिट के समायोजन की अनुमति घरेलू कंपनियों को उनकी कर देयता के 25% की सीमा तक छूट प्राप्त करने के लिए दी जाएगी।
- अग्रेनीत एमएटी क्रेडिट उस वर्ष से 15वें वर्ष तक ही उपलब्ध होगा जब संगत क्रेडिट पहली बार उपलब्ध था।
- विदेशी कंपनियों के मामले में यह समायोजन उस कर वर्ष के लिए कुल आय पर कर और न्यूनतम वैकल्पिक कर के बीच अंतर की सीमा तक दिए जाने का प्रस्ताव है जिसमें सामान्य कर एमएटी से अधिक है।

6. अन्य प्रत्यक्ष कर प्रावधानों को युक्तिसंगत बनाना

(i) शेयर बायबैक को युक्तिसंगत बनाना

- किसी शेयरधारक द्वारा बायबैक पर प्राप्त प्रतिफल को लाभांश आय के रूप में माने जाने के बजाय पूंजीगत लाभ शीर्ष के अंतर्गत करारोपण के लिए विचारार्थ रखे जाने का प्रस्ताव है। यह प्रस्ताव भी है

कि प्रोमोटरों के लिए विभेदक दरें उपलब्ध करवाई जाएं जहां बायबैक में लाभ का प्रभावी दर प्रवर्तकों, जो घरेलू कंपनियां हैं, के लिए 22 प्रतिशत होगा और घरेलू कंपनियों के अलावा अन्य कंपनियों के लिए 30 प्रतिशत होगा।

(ii) स्रोत दरों पर कर संग्रहण (टीसीएस) को युक्तिसंगत बनाना

- प्रस्ताव है कि टीसीएस दरों की विविधता कम की जाए। साथ ही इस मद में नकदी प्रवाह के मामलों के निपटान हेतु कतिपय टीसीएस दरें युक्तिसंगत बनायी गई हैं।

क्र.सं.	प्राप्ति की प्रकृति	वर्तमान दर	प्रस्तावित दर
1	मानव उपभोग के लिए ऐल्कोहॉल युक्त लिकर की बिक्री	1%.	2%.
2	तेंदू पत्तों की बिक्री	5%.	2%.
3	स्क्रेप की बिक्री	1%.	2%.
4	खनिजों, कोयला अथवा लिग्नाइट या लौह अयस्क की बिक्री	1%.	2%.
5	उदारीकृत विप्रेषण योजना के अंतर्गत राशि अथवा धनराशि के जोड़ का विप्रेषण दस लाख रूपए से अधिक हो—	(क) शिक्षा अथवा चिकित्सकीय उपचार के प्रयोजनों के लिए 5%; (ख) शिक्षा अथवा चिकित्सकीय उपचार से इतर प्रयोजनों के लिए 20%	(क) शिक्षा अथवा चिकित्सकीय उपचार के प्रयोजनों के लिए 2%; (ख) शिक्षा अथवा चिकित्सकीय उपचार से इतर प्रयोजनों के लिए 20%
6	यात्रा अथवा होटल में ठहरने या रहने या रूकने या अन्य समान अथवा संबंधित व्यय सहित "विदेश यात्रा कार्यक्रम पैकेज" की बिक्री	(क) दस लाख रूपए तक राशि अथवा कुल राशि का 5%; (ख) दस लाख रूपए से अधिक के लिए राशि	2%

		अथवा कुल राशि का 20%	

(iii) एसटीटी दर वृद्धि

- पूंजी बाजार में एफएंडओ क्षेत्र में विवेकशील क्रम सुधार उपलब्ध कराने तथा सरकार के लिए अतिरिक्त राजस्व सृजित करने के लिए फ्यूचर्स पर एसटीटी को वर्तमान 0.02% से बढाकर 0.05% करने का प्रस्ताव है।
- ऑप्शन प्रीमियम और ऑप्शन के चयन पर एसटीटी की वर्तमान दर क्रमशः 0.1% और 0.125% से बढ़ाकर 0.15% करने का प्रस्ताव है।

(iv) सरकारी स्वर्ण बॉन्ड पर पूंजीगत लाभ से छूट

- यह प्रस्तावित है कि सरकारी स्वर्ण बॉन्ड के संबंध में पूंजीगत लाभ कर से छूट तभी उपलब्ध होगी जब ऐसे बांड प्रारंभिक निर्गम के समय व्यक्ति द्वारा अभिदत्त तथा परिपक्वता पर शोधन तक लगातार रखे जाते हैं,
- यह भी प्रस्तावित है कि यह छूट भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी सभी सरकारी स्वर्ण बॉन्ड पर लागू होगा।

(v) मान्यता प्राप्त भविष्य निधियों से संबंधित अनुसूची XI को युक्तिसंगत बनाना

- यह प्रस्तावित है कि नियोक्ता के अंशदान पर समानता आधारित और प्रतिशत आधारित सीमाओं के विलोप द्वारा मान्यता प्राप्त भविष्य निधि से संबंधित प्रावधानों को युक्तिसंगत बनाने, वेतन आधारित शिथिलता और शेयरधारक आधारित प्रभेद हटाने, कर्मचारी भविष्य निधि की धारा 17 और विविध उपबंध अधिनियम 1952 के अंतर्गत मान्यता हेतु

पात्रता को अनुरूप करने तथा लागू ईपीएफओ मानदंडों से असंगत अनम्य सांविधिक सीमाओं को हटाने हेतु निवेश संबंधी उपबंधों को आशोधित करने के लिए अनुसूची XI संशोधित की जाए।

(vi) लाभांश और म्युचुअल फंड आय पर ब्याज कटौती को हटाना

- यह प्रस्ताव है कि म्युचुअल फंड की यूनिटों से लाभांश आय अथवा आय के संबंध में किए गए व्यय पर किसी ब्याज के संबंध में कोई कटौती की अनुमति नहीं होगी तथा विनिर्दिष्ट सीमा के अध्यधीन ऐसी कटौती अनुमत करने संबंधी मौजूदा उपबंध का लोप किया जाए।

(vii) ऐसे प्रावधान किए जाए जिनसे उन परिस्थितियों में स्पष्टता हो जिनमें कोई राशि, जिसका दावा कटौती के रूप में किया गया है अथवा जिसे कुल आय में जोड़ा नहीं गया है, को आय समझा जाए

- यह प्रस्ताव है जहां कोई राशि निरसित आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत कटौती के रूप में अनुमत है या कुल आय में शामिल नहीं की गई है, ऐसी राशि किसी शर्त के उल्लंघन बिना भी आय कर अधिनियम 2025 के अंतर्गत आय समझी जाएगी, यदि वह आय कर अधिनियम 1961 के उपबंधों के अंतर्गत कुल आय में शामिल होता यदि उसका निरसन नहीं होता।

(viii) टन भार कर योजना से संबंधित उपबंधों को युक्तिसंगत बनाना

- यह प्रस्तावित है कि टन भार कर योजना के उपबंधों को युक्तिसंगत बनाया जाए ताकि यह अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 2021 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुरूप हो सके।

(ix) सशस्त्र बलों के लिए दिव्यांगता पेंशन

- यह प्रस्ताव है कि अधिवर्षिता या अन्यथा सेवा निवृत्ति के मामलों को छोड़कर, अर्धसैनिक कार्मिकों सहित सशस्त्र बलों के कार्मिकों को

प्रदत्त दिव्यांगता पेंशन, सेवा शर्त और दिव्यांगता शर्त, दोनों को शामिल करते हुए, जहां कार्मिक, सेना, नौसेना अथवा वायु सेना सेवा के कारण या उसके प्रकोपन के कारण शारीरिक अशक्तता के कारण सेवा से बाहर हो गया हो, के लिए विशेष छूट दी जाए।

(x) आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम के अंतर्गत किसी भूमि के अनिवार्य अधिग्रहण पर आय में छूट

- भूमि अधिग्रहण में उचित क्षतिपूर्ति एवं पारदर्शिता का अधिकार, पुनर्वास एवं बंदोबस्त अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अंतर्गत भूमि के अधिग्रहण के लिए विशिष्ट रूप से छूट प्रदान करने हेतु यह प्रस्ताव है कि उक्त अधिनियम (उक्त अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत अधिनिर्णय अथवा करार के अतिरिक्त) के अंतर्गत किसी भूमि के अनिवार्य अधिग्रहण के संबंध में दिए गए अधिनिर्णय अथवा करार से संबंधित कोई आय पर व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार को छूट दी जाए।

(xi) आशोधित विवरण प्रस्तुत करने के लिए अग्रिम मूल्य निर्धारण करार करने हेतु व्यक्ति की संबद्ध इकाई को सुविधा

- अग्रिम मूल्य निर्धारण करार (एपीए) में करार के अनुसार आशोधित विवरणी प्रस्तुत करने के लिए अग्रिम मूल्य निर्धारण करार करने हेतु इकाई को पहले से सुविधा दी गई है। यह प्रस्ताव है कि यह सुविधा, करार करने वाली व्यक्ति की संबद्ध इकाई को भी प्रदान की जाए जहां उसकी आय भी करार के कारण परिवर्तित हो जाती है।

(xii) स्पष्टीकरण की प्रकृति में संशोधन

- कुछ ऐसे विधिक मुद्दे हैं जिनमें न्यायालयों के निर्णय भिन्न हैं। ये विवाद निपटान पैनल की कार्यवाहियों के पश्चात निर्धारण हेतु समय-सीमा, अंतरण मूल्य निर्धारण अधिकारी आदेश के लिए समय-सीमा,

दस्तावेज पहचान संख्या और क्षेत्राधिकार कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पुनः निर्धारण हेतु नोटिस जारी करने से संबंधित हैं। इस संबंध में यह प्रस्ताव है कि आयकर अधिनियम, 1961 तथा आयकर अधिनियम, 2025 में इन मुद्दों को स्पष्ट किया जाए ताकि उपबंधों में स्पष्टता आ सके।

(xiii) आय कर अधिनियम, 2025 में अन्य छोटे आशोधन

- यह प्रस्ताव है कि अधिनियम की धारा 66 में "पण्य व्युत्पन्न" की परिभाषा उपलब्ध हो।
- यह प्रस्ताव है कि अधिनियम की धारा 402 में "प्राधिकृत व्यक्ति" की परिभाषा उपलब्ध हो।
- यह प्रस्ताव है कि धारा 393(1) की टिप्पणी 3 में संदर्भ त्रुटि में सुधार किया जाए [तालिकाः क्र.सं. 3(i)] से [तालिका: क्र.सं. 3(iii)] से [तालिका: क्र.सं. 3(i)].
- यह प्रस्ताव है कि धारा 99(2) से 99(1)(क)(i) से धारा 99(1)(क)(ii) में संदर्भ त्रुटि में सुधार किया जाए।
- यह प्रस्ताव है कि आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 400(2) संशोधित की जाए ताकि यह आय कर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के आशय के अनुरूप हो सके तथा यह कि इस धारा के अंतर्गत बोर्ड द्वारा जारी दिशा-निर्देश, आय कर की कटौती या संग्रहण, जैसा भी मामला हो, करने वाले आय कर प्राधिकारियों के साथ-साथ उत्तरदायी व्यक्ति पर लागू होंगे।
- यह प्रस्ताव है कि आयकर अधिनियम, 2025 की धाराएं 58, 162, 164, 165, 202 और 270 संशोधित की जाएं ताकि धारा 144 और

अध्याय VIII, दोनों में दोहरे संदर्भ को हटाया जा सके क्योंकि अध्याय VIII में पहले से धारा 144 शामिल है।

- यह प्रस्ताव है कि आय कर आयकर अधिनियम, 2025, 1961 की धारा 10(4घ) के उपबंधों के साथ अधिनियम की अनुसूची VI [टिप्पणी 1(ज)] में यथा उपबंधित विनिर्दिष्ट निधि की परिभाषा के अनुरूप बनाने हेतु अनुसूची VI [टिप्पणी 1(ज)] संशोधित की जाए।

- यह प्रस्ताव है कि धारा 352(4) [तालिका: क्र.सं. 8] संशोधित की जाए ताकि यह पंजीकृत अलाभकारी संगठनों का कोई पंजीकृत अलाभकारी संगठन को छोड़कर किसी अन्य संस्था के साथ विलय अथवा समान अथवा उसी प्रकार के लक्ष्यों के साथ पंजीकृत कोई अन्य अलाभकारी संगठन के साथ विलय, परंतु उक्त विलय निर्धारित ऐसी शर्तों को पूरी नहीं करता हो या पंजीकृत अलाभकारी संगठन, जिसके समान और उसी प्रकार के लक्ष्य न हो, के साथ विलय के मामले में अभिवृद्धि आय से संबंधित उपबंधों के अनुरूप हो सके।

- यह प्रस्ताव है कि आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 12कग के अनुरूप एक नई धारा अंतःस्थापित की जाए ताकि पंजीकृत अलाभकारी संगठन का किसी समान या उसी प्रकार के लक्ष्यों वाले किसी अन्य पंजीकृत अलाभकारी संगठन के साथ विलय, यदि उक्त विलय यथा निर्धारित ऐसी शर्तें पूरी करता हो, की अनुमति हो।

- यह प्रस्ताव है कि आय कर आयकर अधिनियम, 2025, 1961 के उपबंध के अनुरूप अधिनियम की धारा 351 संशोधित की जाए ताकि उक्त धारा में आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 346 के संदर्भ को हटाया जा सके।

- यह प्रस्ताव है कि आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 332(1)(च) संशोधित की जाए ताकि उक्त धारा में अनुसूची VII [तालिका: क्र.सं.

10 से 16] का संदर्भ हटाया जा सके जिससे पंजीकृत अलाभकारी संगठन के रूप में उनके पंजीकरण हेतु ऐसी निधियां अपेक्षित न हो।

- यह प्रस्ताव है कि पंजीकृत अलाभकारी संगठन द्वारा विलंब से विवरणी प्रस्तुत करने में समर्थ बनाने हेतु धारा 349 संशोधित की जाए।
- यह प्रस्ताव है कि संपत्ति या उसके भाग के वार्षिक मूल्य में परिवर्तन किया जाए जो "दो वर्षों के लिए" से "दो वर्षों तक" के स्थान पर शून्य समझा जाए।
- यह प्रस्ताव है कि आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 22(2) संशोधित की जाए जिससे कि यह उपबंधित हो सके कि उधार ली गई पूंजी पर ब्याज हेतु कटौती की समग्र राशि में पूर्व अवधि देय ब्याज सम्मिलित होगी।
- यह प्रस्ताव है कि धारा 262 (10)(ग) संशोधित की जाए ताकि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ऐसे दस्तावेजों, जो व्यापार या पेशे से संबंधित नहीं है, में स्थायी खाता संख्या (पैन) उद्धृत करने के लिए नियम बना सके।

भाग ख का अनुलग्नक

अप्रत्यक्ष कर से संबधित संशोधन

क.	सीमा शुल्क कानूनों में विधायी परिवर्तन
क.1	सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 में संशोधन (i) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 1 की उप-धारा (2) संशोधित की जा रही है ताकि उक्त अधिनियम का क्षेत्राधिकार भारत के प्रादेशिक जल-क्षेत्र से आगे मछली पकड़ने और मछली पकड़ने से संबंधित गतिविधियों के प्रयोजनार्थ विस्तारित किया जा सके। (ii) धारा 2 में 'भारतीय ध्वाजांकित मत्स्य जलयान' की अभिव्यक्ति को परिभाषित करने के लिए एक नया खंड अंतःस्थापित किया जा सके। (iii) धारा 28 की उप-धारा (6) संशोधित की जा रही है ताकि तत्संबंधी उप-धारा (6) के अंतर्गत निर्धारण के संबंध में धारा 28 की उप-धारा (5) के अंतर्गत संदत्त जुर्माना शुल्क की गैर-अदायगी के लिए प्रभार समझा जाए। (iv) धारा 28ञ की उप-धारा (2) संशोधित की जा रही है ताकि उक्त धारा की उप-धारा (1) के अंतर्गत अग्रिम निर्णय पांच वर्षों की अवधि या ऐसे कानून अथवा तथ्यों, जिसके आधार पर अग्रिम निर्णय घोषित किया गया है, में परिवर्तन, इनमें से जो भी पहले हो, होने तक वैध रहेगा। (v) उक्त उप-धारा के परंतुक को भी प्रतिस्थापित किया जा रहा है ताकि राष्ट्रपति द्वारा वित्त विधेयक, 2026 की तारीख को प्रवृत्त किसी अग्रिम निर्णय के संबंध में प्राधिकारी आवेदक द्वारा किए गए अनुरोध पर

निर्णय की वैधता निर्णय की तारीख से पांच वर्षों के लिए बढ़ा सकेगा।

(vi) एक नई 56क अंतःस्थापित की जा रही है ताकि भारत के प्रादेशिक जल-क्षेत्र से आगे किसी भारतीय ध्वाजांकित मछली पकड़ने से संबंधित गतिविधियों के लिए विशेष उपबंध किए जा सकें। इसमें यह भी उपबंधित है कि भारत के प्रादेशिक जल-क्षेत्र से पकड़ी गईं मछलियां शुल्क से मुक्त भारत में लाईं जाए और उन मछलियों को नियमों द्वारा यथा उपबंधित ऐसे तरीके से लाई जाएं जैसे वे निर्यात उत्पादों के रूप में विदेशी पत्तनों पर आई हैं। इसमें ऐसे विनियमों को बनाना भी उपबंधित है ताकि घोषणा, अभिरक्षा, जांच, सीमा-शुल्क का निर्धारण, अनापत्ति, पारगमन या ढुलाई सहित भारतीय ध्वाजांकित मत्स्य जलयान द्वारा पकड़ी गई मछलियों की प्रविष्टि का तरीका उपबंधित हो सके।

(vii) सीमा-शुल्क अधिनियम में धारा 67 के लिए निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाए, नामत: -

"67. किसी माल गोदाम में रखे गए सामान का स्वामी उसे यथा उपबंधित ऐसे तरीकों के अध्यधीन उन्हें एक माल गोदाम से दूसरे माल गोदाम में ले जा सकेगा।"

प्रस्तावित धारा का उदेश्य सीमा-शुल्क नियंत्रित एक मालगोदाम में रखे गए सामान को एक से दूसरे में ले जाने के लिए उक्त धारा के अंतर्गत समुचित अधिकारी की पूर्व अनुमति की अपेक्षा को हटाना है।

(viii) सीमा-शुल्क अधिनियम की धारा 84 के खंड (ख) में शब्द "जांच", के स्थान पर "*अभिरक्षा, जांच*" प्रतिस्थापित किए जाएंगे। इस संशोधन का

उद्देश्य इस धारा के अंतर्गत बनाए गए विनियमों के अंतर्गत आयातित अथवा निर्यातित किए जाने वाले सामानों की अभिरक्षा हेतु उपबंध करने के लिए बोर्ड को समर्थ बनाना है।

यह परिवर्तन वित्त विधेयक, 2026 को प्राप्त अनुमति की तारीख से प्रभावी होंगे।

क.2 सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम,1975 में संशोधन

सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम,1975 की प्रथम अनुसूची संशोधित की जा रही है ताकि अध्याय 03, 08, 12, 13, 20, 21, 22, 25,26, 28, 29, 33, 39, 41, 47, 48, 73, 81, 84, 85, 86 में 148 नई प्रशुल्क प्रविष्टियां जोड़ी, 54 प्रशुल्क प्रविष्टियां प्रतिस्थापित/विलोपित और अध्याय 29 में 2 प्रशुल्क प्रविष्टियां एवं अध्याय 85 में 1 प्रशुल्क प्रविष्टि संशोधित की जा सके।

इसके अतिरिक्त, कतिपय प्रशुल्क मदों पर प्रशुल्क दर दिनांक 02.02.2026 से तथा दिनांक 01.04.2026 से दर युक्तिसंगत बनाने के भाग के रूप में कतिपय अन्य प्रशुल्क मदें भी आशोधित की जा रही हैं।

विभिन्न सामानों के संबंध में छूट संबंधी अधिसूचनाओं के स्थान पर प्रथम अनुसूची से प्रभावी मूल सीमा-शुल्क ड्यूटी दरों को लागू करने के लिए नई टैरिफ लाइनें सृजित की गई हैं तथा कतिपय विद्यमान टैरिफ लाइनों के लिए ड्यूटी की दर आशोधित की गई है। यह एक सरलीकरण प्रक्रिया है और ऐसे सामानों पर लागू डयूटी दर में कोई परिवर्तन नहीं है।

नई टैरिफ लाइनें भी अंतःस्थापित की जा रही हैं ताकि निर्यातों के लिए कोटिड पाइपों की बेहतर पहचान, प्रिकर्सर रासायनों का वास्तविक लेनदेन संबंधी आंकड़ा प्राप्त

करने में सहायता तथा उनकी प्रभावी निगरानी, सुगमता, निर्यातों की ट्रैकिंग में मदद और पादप आधारित निष्कर्षण उत्पादों संबंधी नीतिगत उपायों का निर्णय एवं पर्यावरण अनुकूल उद्योगों को प्रोत्साहित करने में मदद मिल सके।

उपर्युक्त के विवरण के लिए वित्त विधेयक, 2026 के व्याख्यात्मक ज्ञापन का संदर्भ लिया जा सकता है। यह परिवर्तन दिनांक 01.05.2026, जब तक कि अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया जाए, से प्रभावी होंगे।

क.3 सीमा-शुल्क अधिनियम 1962 के नियमों और विनियमों में संशोधन

(i) उपर्युक्त के अतिरिक्त अंतराष्ट्रीय यात्रियों के लिए नए बैगेज नियम जारी किए जा रहे हैं।

(ii) विलंबित डयूटी अदायगी मासिक की जा रही है और विद्यमान आयात सीमा-शुल्क विलंबित अदायगी नियम, 2016 को संशोधित करते हुए पात्र आयातकों की नई श्रेणी सृजित की जा रही है।

(iii) कुरियर विनियमों के आशोधन द्वारा कुरियर के माध्यम से निर्यातित सामानों के मूल्य पर सीमा हटाई जा रही है।

(iv) इसके अतिरिक्त ई-कॉमर्स की सुगमता हेतु कुरियर में वापसी और अस्वीकार संबंधी प्रक्रियाएं शिथिल की जा रही हैं।

(v) कुरियर टर्मिनलों में व्यस्तता कम करने तथा समग्र रूप से दक्षता बेहतर करने एवं आयात और निर्यात की सुगमता हेतु कुरियर विनियम आशोधित किए जा रहे हैं ताकि उद्गम को वापसी की अनुमति हो सके।

ख. जीएसटी नियमों में विधायी परिवर्तन

[अन्यथा उपबंधित न हो, यह परिवर्तन जीएसटी परिषद की संस्तुतियों के अनुसार राज्यों के साथ समन्वय करते हुए किसी अधिसूचित तारीख से प्रभावी होंगे।]

ख.1 सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 15 के अंतर्गत बिक्री पश्चात छूट से संबंधित उपबंधों में संशोधन

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 15 की उप-धारा (3) संशोधित की जा रही है ताकि किसी करार से बिक्री पश्चात छूट को जोड़ने की अपेक्षा तथा धारा 34 के अंतर्गत क्रेडिट नोट, जहां इनपुट कर क्रेडिट प्राप्तकर्ता द्वारा वापिस की जानी है, को जारी करने का संदर्भ हटाया जा सके।

ख.2 सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 34 में संशोधन

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 34 संशोधित की जा रही है ताकि उक्त धारा में धारा 15 का संदर्भ शामिल किया जा सके।

ख.3 सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 54 में संशोधन ताकि प्रतिलोम ड्यूटी ढ़ाचे के मद में अनंतिम वापसी उपबंधित की जा सके

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 54 की उप-धारा (6) संशोधित की जा रही है ताकि अनंतिम वापसी संबंधी उपबंधों को प्रतिलोम डयूटी ढ़ांचे से उत्पन्न वापसी तक विस्तारित किया जा सके।

ख.4 सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 54 में संशोधन ताकि 1000/- रुपये से कम कर की वापसी का प्रावधान किया जा सके

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 54 की उप-धारा (14) संशोधित की जा रही है ताकि यह कर अदायगी पर भारत से निर्यातित सामानों के मामलों में वापसी संबंधी दावों की स्वीकृति हेतु प्रारंभिक सीमा हटायी जा सके।

<table>
<tr><td>ख.5</td><td>आईजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 101क में संशोधन

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 101क में उप-धारा 1(क) अंतःस्थापित की जा रही है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय अपीलीय प्राधिकरण का गठन होने तक, अधिसूचना द्वारा सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 101(ख) के अंतर्गत अपील की सुनवाई के लिए किसी मौजूदा अधिकरण को शक्तियां प्रदान कर सकती है; और यह प्रावधान किया जा सके कि उप-धारा (2) से (13) के प्रावधान एक अधिकरण, जिसे उप-धारा (1क) के अंतर्गत इस प्रकार शक्तियां प्रदत्त की गई हैं. वहां लागू नहीं होंगे। यह परिवर्तन 1 अप्रैल, 2026 से लागू होगा।</td></tr>
<tr><td>ख.6</td><td>आईजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 13 में संशोधन ताकि मध्यवर्ती सेवाओं की आपूर्ति के स्थान का प्रावधान किया जा सके

एकीकृत माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 13 की उप-धारा (8) के खंड (ख) का विलोप किया जा रहा है ताकि यह उपबंध किया जा सके कि "मध्यवर्ती सेवाओं" की आपूर्ति के स्थान का निर्धारण आईजीएसटी अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत डिफाल्ट प्रावधान के अनुसार किया जाएगा।</td></tr>
</table>

ग. सीमा-शुल्क डयूटी दर परिवर्तन

ग.1 इनपुट लागत कम करने, घरेलू विनिर्माण पर बल देने तथा निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखत मदों पर सीमा-शुल्क डयूटी कम की जा रही है [अन्यथा विनिर्दिष्ट न की जाए, दिनांक 02.02.2026 से प्रभावी]

क्र. सं.	वस्तु	मूल सीमा-शुल्क ड्यूटी की दर	
		से (प्रतिशत)	तक (प्रतिशत)
I	महत्वपूर्ण खनिज		
1.	मोनाजाइट	2.5%	शून्य

क्र. सं.	वस्तु	मूल सीमा-शुल्क ड्यूटी की दर	
		से (प्रतिशत)	तक (प्रतिशत)
II.	नवीकरणीय ऊर्जा		
2.	सौर ग्लास के विनिर्माण में उपयोग हेतु सोडियम एंटीमोनेट	7.5%	शून्य
3.	बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली की बैटरियों के लिए लिथियम ऑयन सेलों के विनिर्माण में उपयोग हेतु विनिर्दिष्ट पूंजीगत वस्तुएं	यथा लागू	शून्य
III.	नाभिकीय ऊर्जा		
4.	नाभिकीय ऊर्जा पैदा करने के लिए टैरिफ मदों 8401 30 00 के अंतर्गत शामिल सभी वस्तुएं	7.5%	शून्य
5.	नाभिकीय ऊर्जा पैदा करने के लिए टैरिफ मदों 8401 40 00 के अंतर्गत शामिल कंट्रोल एंड प्रोटेक्टर एब्जार्वर रॉड, बर्न किए जाने योग्य एब्जार्वर रॉड	7.5%	शून्य
6.	क्षमता पर ध्यान दिए बिना विनिर्दिष्ट नाभिकीय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए अपेक्षित वस्तुएं जहां परियोजनाएं आयात विनियम, 1998 के अनुपालन में 30 सितंबर, 2035 को या उससे पहले संबंधित सीमा शुल्क घरानों के साथ पंजीकृत परियोजना	यथा-लागू	शून्य
IV.	इलेक्ट्रॉनिक		
7.	टैरिफ मदों 8516 50 00 के अंतर्गत आने वाले माइक्रोवेव ओवन के विनिर्माण में प्रयुक्त होने वाली विनिर्दिष्ट वस्तुएं	यथा-लागू	शून्य

क्र. सं.	वस्तु	मूल सीमा-शुल्क ड्यूटी की दर	
		से (प्रतिशत)	तक (प्रतिशत)
V.	नागर विमानन		
8.	एअरक्रॉफ्टों और एअरक्रॉफ्टों के विनिर्माण के लिए एअरक्रॉफ्ट के इंजनों सहित उसके घटक या पार्ट	यथा-लागू	शून्य
VI.	रक्षा क्षेत्र		
9.	रक्षा मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई द्वारा आयातित इंजनों सहित एअरक्रॉफ्ट या एअरक्रॉफ्ट के पार्टों या घटकों के रखरखाव, मरम्मत या ओवरहालिंग के लिए एअरक्रॉफ्ट के पार्टों के विनिर्माण के लिए घटक	यथा-लागू	शून्य
VII.	औषधियां/दवाएं		
10.	अधिसूचना सं. 45/2025-सीमा शुल्क दिनांक 24.10.2025 की तालिका-I के साथ संलग्न सूची 3 में जोड़े जाने के लिए 17 नई औषधियां/दवाएं	5%/10%	शून्य
11.	7 दुर्लभ बीमारियां जो राष्ट्रीय दुर्लभ बीमारी (एनपीआरडी) नीति, 2021 की भाग नहीं हैं, को जब व्यक्तिगत उपयोग के लिए आयात किया जाता है तो विशेष चिकित्सा प्रयोजनों के लिए औषधियों, दवाओं पर सीमा शुल्क छूट के लिए अधिसूचना सं. 45/2025-सीमा शुल्क दिनांक 24.10.2025 की तालिका । में जोड़ा जाना है।	यथा-लागू	शून्य
VIII.	व्यक्तिगत आयात (01.04.2026 से प्रभावी)		
12.	अध्याय शीर्ष 9804 के अंतर्गत व्यक्तिगत उपयोग के लिए आयात किए गए सभी शुल्कयुक्त सामान	10%/20%	10%

टिप्पणी: प्रविष्टियों का विवरण संकेतात्मक है। पूर्ण विवरण के लिए अधिसूचना/टैरिफ का संदर्भ लिया जा सकता है।

ग.2 सीमा शुल्क में बढ़ोतरी/संशोधन [02.02.2026 से प्रभावी]

क्र.सं.	पण्य (कमोडिटी	बेसिक सीमा शुल्क की दर	
		से (प्रतिशत)	तक (प्रतिशत)
I.	रसायन		
1.	पोटैशियम हाइड्रॉक्साइड	शून्य	7.5%
II.	अंब्रेला और उसके भाग		
2.	टैरिफ मदों 6601 9100 और 6601 9900 के अंतर्गत शामिल अंब्रेला (बाग अंब्रेला के अलावा)	20%	प्रति पीस 20 % या 60 रुपये जो भी अधिक हों।
3.	शीर्ष 6601 से 6602 की वस्तुओं के पार्ट, ट्रीमिंग और एसेसरीज	10%	प्रति किग्रा 10 % या 25 रुपये जो भी अधिक हों।

टिप्पणी: प्रविष्टियों का विवरण संकेतात्मक है। पूर्ण विवरण के लिए अधिसूचना/टैरिफ का संदर्भ लिया जा सकता है।

ग.3 छूटों की समीक्षा

विभिन्न सामानों की रियायती बीसीडी दरें प्रदान करने वाली मौजूदा सीमा शुल्क अधिसूचना की समीक्षा की गई। परिणापस्वरूप, समीक्षा के उपरान्त निम्नलिखित छूटों को समाप्त किया जा रहा है।

ग.3.1 02.02.2026 से प्रभावी समापन

क्र.सं.	45/2025-सीमा शुल्क में तालिका। की क्रं.सं.	विवरण
1.	1	चिड़ियां घरों द्वारा आयात किए गए जानवर और पक्षी
2.	113	अल्फा पाइनेन
3.	123	कृत्रिम प्लाज्मा
4.	128	मैन्योर या जटिल उर्वरकों के उत्पादन के लिए उपयोग हेतु अमोनियम फॉस्फेट या अमोनियम नाइट्रो फॉस्फेट
5.	132	52% से अनधिक के पोटैशियम ऑक्साइड* के भार से युक्त पोटैशियम सल्फेट
6.	137	टैरिफ शीर्ष 3822 90 90* के अंतर्गत आने वाले अन्य नैदानिक या प्रयोगशाला अभिकर्मक
7.	213	आईएनवीएआर
8.	258	काफी के विनिर्माण या प्रोसेसिंग में प्रयुक्त होने वाली काफी रोस्टिंग, ब्रीविंग अथवा वेंडिंग मशीने
9.	285	रेडियो ट्रंकिंग टर्मिनलों के पार्ट
10.	287	शैक्षिक प्रकृति की पुस्तकों, जर्नल, पीरियॉडिकल (मैग्जीन) या समाचार पत्र वाले सीडी-रॉम
11.	310	लोको सिमुलेटर्स

टिप्पणी: प्रविष्टियों का विवरण संकेतात्मक है। पूर्ण विवरण के लिए अधिसूचना/टैरिफ का संदर्भ लिया जा सकता है।

** वस्तुओ के प्रभावी शुल्क में कोई परिवर्तन नहीं है।*

ग.3.2 01.04.2026 से प्रभावी समापन

क्र.सं.	45/2025-सीमा शुल्क में तालिका। की क्रं.सं.	विवरण
अधिसूचना सं. 45/2025-सीमा शुल्क की तालिका।		
1.	93	उर्वरकों के विनिर्माण में उपयोग के लिए नेफ्था
2.	95	सेज युनिट से डीटीए युनिट की प्राप्त पॉलिआइसोब्यूटीलीन के विनिर्माण में प्रयुक्त एलपीजी जो डीटीए द्वारा सेज को वापस की गई जहां से ऐसी एलपीजी प्राप्त हुई थी
3.	107	सोलर सेल या सोलर सेल मॉड्यूल के विनिर्माण के लिए अनडिफ्यूज सिलिकॉन वेफर के विनिर्माण के लिए सिलिकॉन**
4.	117	डीफेरीप्रॉन के विनिर्माण में प्रयुक्त माल्टॉल
5.	145	कॉपर-टी गर्भनिरोधक के विनिर्माण में विनिर्दिष्ट वस्तुएं
6.	154	इंसुलेटेड वायर और केबल विनिर्माण में प्रयोग करने के लिए एथीलीन-प्रोपीलीन-नॉन कन्जुगेटेड डाइंग रबर (ईपीडीएम)
7.	172	वयस्क डायपर के विनिर्माण में प्रयोग करने के लिए आयातित हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक नॉन-वुवेन फैब्रिक
8.	201	बहुमूल्य धातुओं वाला स्पेंट कैटलिस्ट या ऐश
9.	218	इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर के विनिर्माण में प्रयोग करने के लिए मेटल पार्ट्स
10.	219	बॉयलर्स के विनिर्माण में प्रयोग करने के लिए पाइप और ट्यूब
11.	231	पवन चालित विद्युत जनरेटरों में प्रयोग करने के लिए 500केडब्ल्यू से ऊपर के सिंक्रोनस जनरेटरों के विनिर्माण के लिए परमानेंट मैगनेट
12.	236	कैटलिटिक कनवर्टर के लिए वाश कोट के विनिर्माण में प्रयोग करने के लिए जिओलाइट
13.	243	मेल रूप ईक्विपमेंट के साथ हाईस्पीड कोल्ड सेट या हाईस्पीड हीट सेट वेब ऑफसेट प्रिंटिंग मशीनें
14.	271	कैश डिस्पेन्शर या आटोमेटिक बैंक नोट डिस्पेन्शर और उसके पार्ट तथा कंपोनेन्ट
15.	275	विदेशी फिल्म यूनिट या टेलीविजन टीम द्वारा आयात किए गए फिल्म बनाने के लिए टेलीविजन इक्विपमेंट, कैमरा और

क्र.सं.	45/2025-सीमा शुल्क में तालिका I की क्रं.सं.	विवरण
		अन्य इक्विपमेंट
16.	276	विदेश से निर्यात होने के बाद भारत में लाए गए विदेशी मूल के फोटोग्राफिक, फिल्मिंग, साउंड रिकार्डिंग उपकरण
17.	291	डिजिटल स्टिल इमेज विडियो कैमरा के पार्ट और कंपोनेन्ट
18.	309	ई-रीडर के विनिर्माण के प्रयोग करने के लिए कच्ची सामग्री या पार्ट
19.	370	मेडिकल, सर्जिकल या वेटरेनरी उपयोग के लिए एक्स-रे मशीनों के विनिर्माण में प्रयोग करने के लिए एक्स-रे ट्यूब
20.	372	मेडिकल, सर्जिकल या वेटरेनरी उपयोग के लिए एक्स-रे मशीनों के विनिर्माण में प्रयोग करने के लिए फ्लैट पैनल डिटेक्टर
21.	397	वीडियो गेम के विनिर्माण के लिए वीडियो गेम के पार्ट
अधिसूचना सं. 45/2025-सीमा शुल्क की तालिका IV		
22.	1	मीडिया में प्रिंटेड या रिकार्डेड गेमिंग कन्सोल्स में उपयोग करने के लिए मोशन पिक्चर, म्यूजिक, गेमिंग साफ्टवेयर
अधिसूचना सं. 113/2003-सीमा शुल्क दिनांक 22 जुलाई, 2003		
23.	सेज यूनिट द्वारा स्वदेशी प्लांट और मशीनरी में बनाए गए स्वदेशी कैस्टर ऑयल सीड से कैस्टर ऑयल केक और कैस्टर डी-ऑयल केक जिसे डीटीए में लाया गया हो, को छूट प्रदान करना।	

टिप्पणी: प्रविष्टियों का विवरण संकेतात्मक है। पूर्ण विवरण के लिए अधिसूचना/टैरिफ का संदर्भ लिया जा सकता है।

***वस्तुओ के प्रभावी शुल्क में कोई परिवर्तन नहीं है।*

घ. निर्यात संवर्धन उपाय

घ.1 समुद्री खाद्य पदार्थों के प्रसंस्करण में उपयोग के लिए विनिर्दिष्ट वस्तुओं के शुल्क-मुक्त आयात की मुल्य-सीमा बढ़ाना

समुद्री खाद्य पदार्थों के प्रसंस्करण में उपयोग के लिए आयात किए गए विनिर्दिष्ट वस्तुओं के शुल्क-मुक्त आयात की मूल्य-सीमा को 1% से बढ़ाकर पिछले वित्त वर्ष के

दौरान निर्यातित समुद्री खाद्य पदार्थों के मूल्य के एफओबी का 3% किया गया है।
घ.2 शुल्क मुक्त आयातित आदानों से विनिर्मित विनिर्दिष्ट वस्तुओं के निर्यातकों के लिए निर्यात की समयावधि बढ़ाना निर्यातकों द्वारा वस्त्र/चर्म परिधान, चर्म/सिंथेटिक फुटवेयर अथवा किसी अन्य चर्म उत्पाद के निर्यात के लिए समयावधि को छह महीने से बढ़ाकर बारह महीने किया जा रहा है।
घ.3 निर्यात हेतु विनिर्दिष्ट वस्तुओं के विनिर्माण के लिए आदानों पर शुल्क छूट का विस्तार निर्यात के लिए चर्म/सिंथेटिक फुटवेयर के विनिर्माण हेतु इनपुट पर शुल्क छूट का लाभ जूते के ऊपरी हिस्से निर्यातकों को भी दिया जा रहा है।

ङ केंद्रीय उत्पाद शुल्क में बदलाव

ङ1 मिश्रित कम्प्रेस्ड नेचुरल गैस (सीएनजी) में प्रयुक्त बायोगैस/कम्प्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी) के मूल्य पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क की छूट

बायोगैस/कम्प्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी) के मूल्य और मिश्रित सीएनजी में ऐसे बायोगैस/कम्प्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी) पर देय उपयुक्त केंद्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्य क्षेत्र कर या एकीकृत कर, जैसा भी मामला हो, को ऐसे मिश्रित सीएनजी पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क की गणना के प्रयोजनार्थ संव्यवहार मूल्य से हटाया जा रहा है।

ङ 2 राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क (एनसीसीडी) दर को 01.05.2026 से संशोधित करने के लिए वित्त अधिनियम, 2001 की 7वीं अनुसूची में संशोधन जिसमें प्रभावी शुल्क दर में कोई बदलाव नहीं है***

क्र.सं.	विवरण	एनसीसीडी दर	
		पुराना दर	नया दर

		(प्रतिशत)	(प्रतिशत)
1.	चबाने वाला तंबाकू	25%	60%
2.	जर्दा सुगंधित तंबाकू	25%	60%
3.	अन्य	25%	60%

नोटः प्रविष्टियों का विवरण संकेतात्मक है। पूर्ण विवरण के लिए अधिसूचना/प्रशुल्क देखें।

***प्रभावी शुल्क दर अधिसूचना द्वारा 25 प्रतिशत बनाए रखा जाएगा।

च. अन्य

कुछ अन्य संशोधन भी हैं। बजट प्रस्तावों के ब्यौरों के लिए, स्पष्टीकरण ज्ञापन अन्य संगत बजट दस्तावेज देखें।